

<mark>पहली</mark> FIRST

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2021-2022

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई, July, 2021

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2021-2022

वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 47 अनुदान मांगें तथा 1 विनियोग हैं। ₹1,87,202.41 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹23,674.81 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹1,63,526.88 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹72 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2021-2022.

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2021-22 includes 47 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,87,202.41 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹23,674.81 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,63,526.88 crore. Besides, token provision of ₹72 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

जोड पूंजी राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Total Revenue नकद व्यय Cash Outgo परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY परमाणु ऊर्जा **Atomic Energy** भाविनी द्वारा एसबीआई को ऋण का भुगतान For recoupment of advance drawn from करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से Contingency Fund of India of ₹80 crore for आहरित ₹80 करोड़ के अग्रिम अनुदान की प्रतिपूर्ति making payment of loan to SBI taken by करने के लिए (₹480 करोड़)। 80.00 80.00 BHAVINI (₹480 crore). रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND **FERTILIZERS** भेषज विभाग **Department of Pharmaceuticals** (i) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) For additional expenditure to clear pending (₹118 करोड़) और (ii) राजस्थान ड्रग्स एंड employee dues of (i) Hindustan Antibiotics फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) (₹21 Ltd. (HAL) (₹ 118 crore) and (ii) Rajasthan करोड़) के कर्मचारियों की लंबित देयताओं को Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (RDPL) ऋण के रूप में चुकाने के लिए अतिरिक्त व्यय (₹21 crore) as loan. 139.00 139.00 को पूरा करने के लिए। नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION नागर विमानन मंत्रालय **Ministry of Civil Aviation** (क) (i) एयर इंडिया- जीएसटी शामिल करने के (a) For meeting additional expenditure कारण संशोधित भुगतान के लिए विशेष towards (i) Grants for Creation of अतिरिक्त खंड उड़ान हेतु नए विमान की Capital Assets for purchase of New खरीद के अंतर्गत पूंजींगत आस्तियों के Aircraft for Special Extra Section Flight सृजन हेत् अनुदान (₹178.24 करोड़) और (SESF) (₹178.24 crore) and (ii) Grants-(ii) राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के अंतर्गत in-aid General under National Aviation सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) University (₹1.50 crore). 178.24 178.24 के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

को ऋण और अग्रिम।

2019-20 सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने हेतु ।

(ख) भारत की आकस्मिकता निधि से लिए अग्रिम

की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया लिमिटेड

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

Contingency Fund of India

15 Department of Food and Public Distribution

For providing assistance to Sugar Mills for 2019-20 season.

(b) For Loans & Advances to Air India Ltd.

for recoupment of advance from

1,100.00 - 1,100.00

1,872.00 1,872.00

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय 28 विदेश मंत्रालय अनुसंधान एवं नवोन्मेष के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 28 Ministry of External Affairs For meeting expenditure under Research and Innovation.	370.00	-	370.00
वित्त मंत्रालय 31 वित्तीय सेवा विभाग ऋण अधिस्थगन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के तहत उधारकर्ता के संबंध में उधार देने वाली संस्थाओं को चक्रवृद्धि ब्याज सहायता।	MINISTRY OF FINANCE 31 Department of Financial Services For Compounded interest support to lending institutions in respect of borrowers under compounded interest support scheme for loan moratorium.	1,750.00	- 1	,750.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
44 स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	44 Department of Health and Family Welfare			
(क) विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹234.64 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹432 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹169.83 करोड़) और सहायता अनुदान से अन्य व्यय को पूरा करने के लिए, (₹3306.89 करोड़) जिसमें से ₹459.26 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹234.64 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹432 crore), Grants-in-aid Salaries (₹169.83 crore) and other than Grants-in-aid (₹3306.89 crore) under various institutions. Of which ₹459.26 crore for recoupment of advance drawn from the			
लिए है। (ख) भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹23.21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹9.89 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹27.26 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने	Contingency Fund of India. (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹23.21 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹9.89 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹27.26 crore) under India COVID 19 Emergency Response and Health	3,650.37	- 3	,650.37
के लिए। (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड- 19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II (जीबीएस)-के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	System Preparedness Package Phase-II (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II		-	60.36
(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड- 19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II (जीबीएस)-के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	 (GBS). (d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II 	10,727.50),727.50
(ड) निम्नलिखित के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी)/(जीबीएस) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (i) आपूर्ति एवं सामग्री, मशीनरी और उपकरण की अधिप्राप्ति (ईएपी) (₹481.16 करोड़) और (ii) स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया (जीबीएस) (मशीनरी और उपकरण) (₹30.50 करोड़) (iii) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (जीबीएस) (मशीनरी और उपकरण) (₹25 करोड़) और (ईएपी) मशीनरी और उपकरण (₹9 करोड़), जिसमें से ₹490.16 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।	(GBS). (e) For meeting expenditue under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (EAP)/(GBS) for (i) Procurement of Supplies & Materials, Machinery & Equipment (EAP) (₹481.16 crore) and (ii) Health Sector Disaster Preparedness and Response (GBS) (Machiney and Equipment) (₹30.50 crore), (iii) National Centre for Disease Control (GBS) (Machinery and Equipment) (₹25 crore) and (EAP) Machinery and Equipment (₹9 crore). Of which ₹490.16 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency	1,479.65		,479.65
	Fund of India.	-	545.66	545.60

		(क	रोड़ रुपए Rupees in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and desc	राजस्व ription of items Revenue	पूंजी जोड़ Capital Total
45 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) हेतु, भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹526.28 करोड़ अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए, जिसमें ईएपी के तहत आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹423.41 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹102.87 करोड़) शामिल है।	For recoupment of Health In For recoupment of advandance of the For recoupment of advandance of the For recoupment of Medical Comprising of Grant (₹423.41 crore) and Grant Capital Assets (₹10) Emergency Epidemic In Response under EAP.	ce of₹526.28 crore y Fund of India for l Research (ICMR) in Aid General ant for Creation of 2.87 crore) for	- 526.28
विधि और न्याय मंत्रालय 64 विधि और न्याय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अकादिमक एवं प्रचालनात्मक व्यय (₹18.25 करोष) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF LAW AND 4 Law and Justice For meeting additional Grants-in-aid General operational expenditure Grants for Creation of Cap of National Judicial Acade	expenditure under for academic and (₹18.25 crore) and ital Assets (₹5 crore)	- 23.25
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 95 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2019-20 के लिए लंबित देनदारियों को मंजूरी देने के लिए एमपीएलएडीएस के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	PROGRAMME IMPL 5 Ministry of Statistics Implementation For meeting additional ex Grants for Creation of Ca MPLADS for clearing p for 2019-20.	EMENTATION and Programme spenditure towards apital Assets under bending liabilities	- 1172.50
Ci.	Total Cash Outgo	1,172.50 21,038.15	2,636.66 23,674.81
कुल नकद व्यय 3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹1,63,526.88 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विजयोगों के	This batch of Supplementa supplementary grants/ap	ŕ	proposals for technic ore which are matche

तकनीकी पूरक अनुदान

किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :

लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों

या मंत्रालयों/विभागों की तदनुरूपी बचतों द्वारा समतुल्य

Technical Supplementary Demands for grants

Departments.

The items are as follows:

by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/

				(करो	ड़ रुपए Rupee.	s in Crore)
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परम	गणु कर्जा विभाग परमाणु कर्जा अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	DE 3	CPARTMENT OF ATOMIC ENERGY Atomic Energy For meeting additional expenditure towards International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project.	-	520.00	520.00
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	Ml	INISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7	भेषज विभाग (i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के भारत सरकार के ऋण की माफी (₹889.50 करोड़) और (ii) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के भारत सरकार के ऋण (₹107.49 करोड़) और प्रोद्भूत ब्याज (₹86.22 करोड़) की माफी के लिए।	7	Department of Pharmaceuticals For waiver of Government of India Loan of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) (₹889.50 crore) and (ii) Waiver of GoI Loan (₹ 107.49 crore) and accrued interest (₹86.22 crore) of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL).	1,083.21	-	1,083.21
वापि	गेज्य और उद्योग मंत्रालय	Ml	INISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10	वाणिज्य विभाग 'सचिवालय' योजना के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	10	Department of Commerce For meeting expenditure towards Other Charges under the scheme 'Secretariat'.	0.50	-	0.50

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
रक्षा मंत्रालय 18 रक्षा मंत्रालय (सिविल) कैटीन स्टोर विभाग के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 18 Ministry of Defence (Civil) For meeting additional expenditure arising out of court decrees for Canteen Stores Department.	1.52	-	1.52		
वित्त मंत्रालय 29 आर्थिक कार्य विभाग प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से मूल्यों के रखरखाव (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता हेतु व्यय	MINISTRY OF FINANCE 29 Department of Economic Affairs For meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV) - IMF					
को पूरा करने के लिए। 35 अप्रत्यक्ष कर निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों (आरओडीटीईपी) की छूट के प्रावधान को बढ़ाने/राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क (आरओएससीटीएल) योजना में छूट और भारत से निर्यात सेवा योजना (एसईआईएस)/भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआईएस)/ आरओएससीटीएल/विविध अन्य योजनाओं के लिए	Obligation through issue of securities. 35 Indirect Taxes For augmenting the provision of Remission of Duties & Taxes on Exported Products / Rebate of State and Central Taxes and Levies scheme and to pay off the arrears for Service Exports from India Scheme/Merchandise Exports from India Scheme/RoSCTL	-	2,641.67	2,641.67		
बकाया राशि का भुगतान करने के लिए। 40 राज्यों को अंतरण जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के एवज में राज्यों को बैक टू बैक ऋण के अंतर्गत विशेष विंडो के तहत ऋण जारी करने के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए।	Miscellaneous other schemes. 40 Transfers to States For providing loans to State Governments through issue of debt under special window under Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall.	0.02	-	0.02		
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय 46 भारी उद्योग विभाग (क) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES 46 Department of Heavy Industry (a) For meeting expenditure towards Investment under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'. (b) For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.	-	78.41 31.63	78.41 31.63		
जल शक्ति मंत्रालय 61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए 'नदी बेसिन प्रबंधन' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹13.12 करोड़) (ii) ईएपी घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़) (iii) कार्यक्रम घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़)।	MINISTRY OF JAL SHAKTI 61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation For meeting expenditure towards (i) Grantsin aid Salaries under the scheme 'River Basin Management' for National Water Development Agency (NWDA) (₹13.12 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for EAP Component and (iii) Grants-in-aid General (₹25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for Program Component.	50.00	-	50.00		
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 91 Ministry of Skill Development and Entrepreneuship					
'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Secretariat.		10.00	10.00		

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय 97 कपड़ा मंत्रालय 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता' योजना के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों हेतु व्यय पूरा करने लिए।	MINISTRY OF TEXTILES 97 Ministry of Textiles For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme Support to PSU's.	-	66.21	66.21
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) (i) युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹1.68 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय (₹0.72 करोड़) एवं खेलो इंडिया (₹100 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹1.68 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under scheme Sports University in North East (₹0.72 crore) and Khelo India (₹100 crore).	0.72	-	0.72
(ख) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹187.78 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sports University in North East (₹187.78 crore).	43.00	-	43.00
कुल तकनीकी	Total Technical	1,178.97	1,62,347.91 1,	63,526.88

नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए 4. प्रत्येक ₹1 लाख का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, इसके प्रति इंगित व्यय को प्रासंगिक अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।

Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान

Token Supplementary Demands for grants

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		,	, ,	,
		राजस्व	पूंजी	 जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)

- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, 4 सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)
 - (क) निम्नलिखित हेत् व्यय पूरा करने के लिए: 1.राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (स्वच्छता कार्य योजना) (₹0.01 करोड़) 2. चिकित्सकीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेत् केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹42.05 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (₹0.88 करोड़) 3. राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) नामक नवगठित सांविधिक निकाय के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹7.80 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹3.17 करोड़) 4. नई स्कीम आयुर्ज्ञान और उसकी उप-स्कीमों नामतः (i) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षण और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹5.56 करोड़) और अन्य

NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

- Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)
 - (a) For meeting expenditure under 1. Grant in Aid General (Swachhta Action Plan) (₹ 0.01 crore) for National Institute of Sowa Rigpa (NISR) 2. Grant-in-Aid-General (₹ 42.05 crore) and Grant-in-Aid-General (SCSP) (₹ 0.88 crore) under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants 3. Grant-in-Aid General (₹ 7.80 crore), Grant-in-Aid Salary (₹ 3.17 crore) in respect of the newly constituted Statutory Body namely National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) 4. AYURGYAN (i) Capacity Building & Continuing Medical Education in AYUSH and its object heads viz. GIA General (₹ 5.56

			ड़ रुपए Rupees मं ी	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
प्रभारों (₹0.25 करोड़) (ii) आयुष और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹8.03 करोड़) और अन्य प्रभारों (₹0.02 करोड़) में अनुसंधान और नवाचार 5. आयुर्स्वास्थ्य योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹17.82 करोड़), अन्य प्रभारों (₹0.09 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹0.06 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए 6. आयुष औषधी गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.20 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.10 करोड़), अन्य प्रभारों (₹0.10 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹0.20 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत व्यय को पूरा करने हेतु।	crore) and Other Charges (₹ 0.25 crore) (ii) Research and innovation in AYUSH and its object heads viz. Grant-in-Aid General (₹ 8.03 crore) and Other Charges (₹ 0.02 crore) 5. Grant-in-Aid General (₹ 17.82 crore), Other Charges (₹ 0.09 crore) and Professional Services (₹ 0.06 crore) under AYURSWASTHYA Yojana 6. Grant-in-Aid General (₹ 5.20 crore), Grant for creation of capital assets(₹ 0.10 crore), Other Charges (₹ 0.10 crore) and Professional Services (₹ 0.20 crore) under AYUSH Oushadhi Gunvatta evum Uttapadan Samvardhan Yojana (AOGUSY). (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for National Institute of Sowa Rigpa.	91.34 0.03	-	91.34
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND			
6 उर्वरक विभाग निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹100.00 करोड़) के तहत ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु और (ii) अनुसंधान तथा विकास के लिए (₹0.10 करोड़) व्यय पूरा करने के लिए।	FERTILIZERS 6 Department of Fertilizers For meeting expenditure towards (i) Brahamputra Valley Fertilisers and Chemicals Ltd. (BVFCL) under Grants-in- aid (₹100 crore) and (ii) Research & Development Budget Head (₹0.10 crore)	100.10	-	100.10
कोयला मंत्रालय (i) 'कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा' उप स्कीम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹2.72 करोड़) और (ii) 'कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी)' उप स्कीम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत (₹22 करोड़) और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत (₹25.17 करोड़) सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COAL 9 Ministry of Coal For meeting expenditure towards Subsidies under (i) Special Component Plan for Scheduled Castes for Conservation Safety in Coal Mines (₹2.72 crore) and (ii) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹22 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹25.17 crore) for Development of Transportation infrastructure in Coalfield Areas (DTIC).	49.89	-	49.89
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
 (क) 'सचिवालय' के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹213.77 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹10.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ii) 'काफी बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹10.79 करोड़) सब्सिडी (₹10.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1.00 करोड़) (iii) 'रबर बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹60.00 करोड़) और (iv) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹60.00 करोड़) और (iv) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 	 10 Department of Commerce (a) For meeting expenditure towards Professional Services under the scheme 'Secretariat'. (b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹ 213.77 crore) and Grantsin-aid Salary (₹ 10 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Grants-in-aid Salary (₹ 10 crore) and Grants-in-aid General (₹ 1 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iii) Grants-in-aid Salary (₹ 60 crore) under the scheme 'Rubber Board' and (iv) Grants-in-aid General 	76.79	-	76.79

		(करो	ड़ रुपए Rupee.	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹0.85 करोड़) और सब्सिडी (₹11.81 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) (i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹229.72 करोड़) और (ii) 'मसाला बोर्ड'	(₹ 0.85 crore) and Subsidies (₹ 11.81 crore) under the scheme 'Spices Board' (c) For meeting expenditure towards Subsidies under the schemes Tea Board	. 321.87	-	321.87
योजना के अंतर्गत सब्सेडी (₹3.69 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (घ) 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हेतु परिवहन और विपणन सहायता' (टीएमए) योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹500.00 करोड़) और	 (₹ 229.72 crore) and Spices Board (₹3.69 crore). (d) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹ 500 crore) under the scheme 'Transport and Marketing 	233.41	-	233.41
(ii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Centre For Research on International Trade-CRIT'.	500.01	_	500.01
(ङ) भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि. (एमएमटीसी) योजना के अंतर्गत ऋण और अग्रिम हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme 'Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC)'.	-	80.00	80.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
(क) 1. सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय को पूरा करने करने हेतु (i) कला संस्कृति विकास योजना - (₹4 करोड़), (ii) अकादिमयों को सहायता (₹55.23 करोड़), पुस्तकालयों को सहायता (₹55.23 करोड़), संग्रहालयों को सहायता (₹16.62 करोड़) और (iii) बीटीआई और स्मारक - (₹0.20 करोड़) और (iv) अनुदानग्राही निकाय (₹0.40 करोड़) 2. निम्नलिखित हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) अकादिमयों को सहायता (₹5.06 करोड़) और (iii) पुस्तकालयों को सहायता (₹5.06 करोड़) और (iii) पंग्रहालयों को सहायता (₹13.71 करोड़) 3. संग्रहालयों को सहायता हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़) 4. 'प्रोजेक्ट मौसम' के लिए वैश्वक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹0.25 करोड़) और के लिए अन्य प्रभार (₹3.25 करोड़) हेतु व्यावसायिक सेवाएं। (ख) पुस्तकालय और अभिलेखागार से संबंधित प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत व्यय को पूरा करने हेतु।	 Ministry of Culture (a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 4 crore) (ii) Support to Akademies (₹ 3 crore), Libraries (₹ 55.23 crore) and Museums (₹ 16.62 crore) (iii) BTI & Memorials – (₹0.20 crore) and (iv) Grantee Bodies (₹ 0.40 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Support to Akademies- (₹ 2.50 crore), Libraries (₹ 5.06 crore) and Museums (₹ 13.71 crore) 3. Grants-in-aid Salaries for Support to Museums (₹ 6.50 crore) 4. Professional Services (₹0.25 crore) and Other Charges (₹3.25 crore) for Global Engagement and International Cooperation for "Project Mausam". (b) For meeting expenditure towards Major Works pertaining to Library and Archives. 	110.72	10.26	110.72
रक्षा मंत्रालय 20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय सेना के तहत 'मिलिट्री फार्म' के लिए अतिरिक्त देयता के कारण व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Capital Outlay on Defence Services For meeting expenditure on account of additional liability for Military Farms under Army.	-	0.03	0.03
शिक्षा मंत्रालय 24 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) समग्र शिक्षा (₹19.40 करोड़), एग्जेंप्लर (₹2.66 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹7.84 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) समग्र शिक्षा (₹15.07 करोड़),	MINISTRY OF EDUCATION 24 Department of School Education and Literacy (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under Samagra Shiksha (₹19.40 crore), Exemplar (₹2.66 crore) and New India Literacy Programme (₹7.84 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** एग्जेंप्लर (₹21.77 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत (ii) Grants for Creation of Capital Assets आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) under Samagra Shiksha (₹ 15.07 crore) समग्र शिक्षा (₹140 करोड़), एग्जेंप्लर (₹26 and Exemplar (₹21.77 crore) (iii) करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹15 Professional Services under Samagra करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं और Shiksha (₹140 crore), Exemplar (₹26 (iv) एग्जेंप्लर (₹4 करोड़), नया भारत crore) and New India Literacy साक्षरता कार्यक्रम (₹0.25 करोड़) के अंतर्गत Programme (₹15 crore) and (iv) विज्ञापन और प्रचार। Advertising and Publicity under Exemplar (₹ 4 crore) and New India 251.99 Literacy Programme (₹ 0.25 crore). 251.99 (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (b) For meeting expenditure towards (i) एग्जेंप्लर (₹60 करोड़), नया भारत (i) Grants-in-Aid General under साक्षरता कार्यक्रम (₹17.48 करोड़) के अंतर्गत Exemplar (₹ 60 crore) and New India सामान्य सहायता अनुदान और (ii) एग्जेंप्लर Literacy Programme (₹ 17.48 crore) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के and (ii) Grants for Creation of Capital 117.48 117.48 लिए अनुदान (₹40 करोड़)। Assets under Exemplar (₹40 crore). (ग) निम्नलिखित हेत् व्यय पूरा करने के लिए (c) For meeting expenditure towards (i) एग्जेंप्लर (₹521.29 करोड़), नया भारत (i) Grants-in-Aid General under साक्षरता कार्यक्रम (₹110.93 करोड़) के Exemplar (₹ 521.29 crore) and New अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) India Literacy Programme (₹ 110.93 एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के crore) and (ii) Grants for Creation of सृजन के लिए अनुदान (₹347.54 करोड़)। Capital Assets under Exemplar 979.76 979.76 (₹347.54 crore). (घ) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (d) For meeting expenditure towards (i) एग्जेंप्लर (₹16.04 करोड़) और नया (i) Grants-in-Aid General under भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹3.76 करोड़) के Exemplar (₹ 16.04 crore) and New अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) India Literacy Programme (₹ 3.76 एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के crore) and (ii) Grants for Creation of सृजन के लिए अनुदान (₹10.70 करोड़)। Capital Assets under Exemplar (₹ 10.70 30.50 30.50 crore). 25 Department of Higher Education (क) (i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य (a) For meeting expenditure towards (i)

25 उच्चतर शिक्षा विभाग

सहायता अनुदान:- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹4.64 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹109.08 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदानः विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹126 करोड़), वैश्विक अनुबंध संबंधी पहलें (₹9 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹5 करोड़), आयुर्विज्ञान संस्थान (बीएचयू) (₹16 करोड़), मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹1.60 करोड़), शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमएनएमटीटी) पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (₹34.20 करोड़) को अनुदान, (iii) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल योजना (₹0.46 करोड़) हेत् वेतन सहायता अनुदान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹187.92 करोड़) और (iv) आभासी कक्षाएं और बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रमों (एमओओसी) की स्थापना (₹15 करोड़) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' हेत् व्यय पूरा करने के लिए।

Grants-in-aid General under the schemes National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 4.64 crore), Grants to Central Universities (₹ 109.08 crore) (ii) Grants for creation of capital assets under schemes World Class Institutions (₹ 126 crore), Initiatives for global engagement (₹ 9 crore), Grants to Central Universities (₹ 5 crore), Grants to Institute of Medical Sciences (BHU) (₹ 16 crore), National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 1.60 crore), Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) (₹ 34.20 crore) (iii)Grants-in-aid Salaries under the schemes National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 0.46 crore), Grants to Central Universities (₹ 187.92 crore) and (iv) 'Professional Services' under the scheme Setting up virtual

	2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO			(1X)
			ड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) (i) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7.18 करोड़) और (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹7.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	classrooms and massive open online courses (MOOCs) (₹ 15 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹ 7.18 crore) and (ii) 'Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government	508.90	-	508.90
(ग) (i) शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.80 करोड़) (ii) वेंग्र्वीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹19 करोड़), एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹15 करोड़) और (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	of India (EAP) (₹ 7.50 crore). (c) For meeting expenditure towards (i) Grants for creation of capital assets under Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching (₹ 3.80 crore) (ii) Grants-in- aid Salaries under Grants to Central Universities (₹ 19 crore), Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 15 crore) and (iii) Grants- in-aid General under Grants to Central Universities (₹ 8.50 crore).	14.68 46.30	-	14.68 46.30
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹11.10 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.40 करोड़)।	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 7 Ministry of Environment, Forests and Climate Change For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets for National Biodiversity Authority (₹11.10 crore) and (ii) Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan (₹6.40 crore).	17.50	-	17.50
वित्त मंत्रालय 29 आर्थिक कार्य विभाग नए विकास बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को दो वर्षों के लिए निःशुल्क सुसज्जित कार्यालय और कार्यालय सुविधा प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 29 Department of Economic Affairs For providing furnished office accommodation and office facilities for two years to Indian Regional Office of the New Development Bank.	0.53	_	0.53
34 प्रत्यक्ष कर ई-ब्लॉक, बीकेसी, मुम्बई के आयकर कार्यालय भवन के विकास और पुनर्निर्माण के लिए निर्माण पूर्व कार्यकलाप हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	34 Direct Taxes For meeting the expenditure towards preconstruction activities for the development and reconstruction of Income Tax office building of E Block, BKC, Mumbai.	_	5.61	5.61
40 राज्यों को अंतरण राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) में से राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एसडीएमएफ के लिए।	40 Transfers to States For State Disaster Mitigation Fund (SDMF) in accordance with Fifteenth Finance Commission recommendations to release Grants-in-aid General to State Governments from SDMF.	4,436.80		4,436.80
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
42 पशु पालन और डेरी कार्य विभाग (क) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय	 42 Department of Animal Husbandry and Dairying (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 			

			(करो	ड़ रुपए Rupees	
अनुदा	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	पूरा करने के लिए।	Animal Husbandry Infrastructur Development Fund.	e 31.00	_	31.00
	(ख) जापान इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी समितियों से राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत डेयरी के लिए सामान्य सहायता मिट्टीट (₹56.10 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (₹12.45 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) (₹6.45 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure toward Grants-in-aid General under General Component (₹56.10 crore), Schedule Caste Sub Plan (SCSP) (₹12.45 crore and Tribal Area Sub Plan (TASP (₹6.45 crore) for Dairying through Cooperatives assisted by Japan Investment Corporation Agency (JICA under the scheme Rashtriya Prashudhat Vikas Yojana.	1 d))) n n	_	75.00
	(ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना के तहत सामान्य घटकों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) (₹2 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) (₹1 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure toward Grants-in-aid General under General Components (₹4 crore), Schedule Castes Sub Plan (SCSP) (₹2 crore) and Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹1 crore under the scheme National Livestock Mission.	s 1 1 1 1	-	7.00
खाद्य	प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES	j		
43 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के लिए कार्यालय व्यय (₹0.50 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹९ करोड़) और (ii) "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से परिवहन के लिए लाभार्थियों को परिवहन सब्सिडी के लिए भारतीय रेलवे को सब्सिडी (₹52 करोड़)।		43 Ministry of Food Processing Industries For meeting expenditure towards (i) Offic Expenses (₹0.50 crore), Othe Administrative Expenses (₹0.50 crore) and Professional Services (₹9 crore) for Production Linked Incentive Scheme (PLIS for Food Processing Industry and (ii) Subsidies (₹52 crore) to Indian Railway towards transport subsidies to beneficiarie for transportation through Kisan Rail unde scheme "Operation Greens".	r d r)) s s	-	62.00
स्वास	थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	7		
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों में अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	44 Department of Health and Family Welfare For meeting additional requirement for Grants for Creation of Capital Assets for Population Research Centres.	r	_	10.00
भारी	उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND)		
	भारी उद्योग विभाग (क) बीपीसीएल के परिसमापन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि की संस्वीकृति की प्रतिपूर्ति के लिए 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योग विकास परिषद योजना के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम हेतु व्यय	PUBLIC ENTERPRISES 46 Department of Heavy Industry (a) For meeting expenditure towards Grants in-aid General under the schem Support to Central Public Secto Enterprises for recoupment of Contingency Fund India advance sanction for closure of BPCL. (b) For meeting expenditure towards Loan and advances under the schem	e r f e 168.22 s e	-	168.22
	को पूरा करने के लिए।	Development Council for Automobile and Allied Industries.	; -	67.22	67.22

					(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा	मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
गृह	मंत्रालय		MINIS	TRY OF HOME AFFAIRS			
50	पुलिस		50 Pol	ice			
	(क) पूंजीगत आस्तियों के के लिए सीमा क्षेत्र कि हेतु व्यय पूरा करने	कास कार्यक्रम (बीएडीपी)	(a)	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Border Area Development Programme (BADP).	16.00	_	16.00
		म्जन के लिए अनुदानों त्र विकास कार्यक्रम पूरा करने के लिए।	(b)	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Border Area Development Programme	10.00		10.00
	म्यांमार सीमा निर्मा और (ii) असम राय और उपकरण (साम	ार्यों के अंतर्गत भारत- ण कार्य (₹25 करोड़) फल्स के लिए मशीनरी ग्रान्य) (₹16.34 करोड़) ग्रामान्य) (₹8.20 करोड़) के लिए।	(c)	(BADP). For meeting expenditure towards (i) Major Works for Indo-Myanmar Border Works (₹25 crore) and (ii) Machinery & Equipment (Gen) (₹16.34 crore) and Motor Vehicles (Gen) (₹8.20 crore) for	0.01	40.54	0.01
			54 T	Assam Rifles.	-	49.54	49.54
54	(ख) विभिन्न शीर्षों के उ	ा को पूरा करने के लिए। अंतर्गत 'सामान्य शिक्षा'		For meeting the additional requirement towards 'Elections' under various heads For meeting the additional requirement	0.10	-	0.10
	लिए। (ग) विभिन्न शीर्षों के अं	यकता को पूरा करने के तर्गत 'तकनीकी शिक्षा' यकता को पूरा करने के	(c)	towards 'General Education' under various heads For meeting the additional requirement towards 'Technical Education' under	0.08	-	0.08
	लिए। (घ) (i) कोविड-19 के व (ii)जिला अस्पतालों को चलाने के लिए (iii) "आयुषमान भ आरोग्य योजना (कारण (₹73.52 करोड़) में सेंद्रल हीटिंग सिस्टम १ (₹6.90 करोड़) और गरत - प्रधानमंत्री जन एबी-पीएमवाईएवाई)" अतिरिक्त व्यय को पूरा	(d)	various heads For meeting the additional expenditure (i) on account of COVID-19 (₹ 73.52 crore) (ii) for running of Central Heating System in District Hospitals (₹ 6.90 crore) and (iii) creation of Sub-Head "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB	0.06 82.59	-	0.06 82.59
		र लेने के व्यय को पूरा गपूर्ति और स्वच्छता के 11 को पूरा करने के लिए	(e)	PMYAY)" (₹ 2.17 crore). For meeting the additional requirement towards Other Charges for 'Water Supply and Sanitation' to meet the expenditure on account of hiring of tankers.	2.00	_	2.00
		ार्गत 'सूचना और प्रचार' श्यकता को पूरा करने	(f)	For meeting the additional requirement towards 'Information and Publicity'		-	
	अ.प.वर्ग और अल्प	र्गत 'अ.ज.जा., अ.जा., संख्यकों की अतिरिक्त	(g)	under various heads For meeting the additional requirement towards 'Welfare of SCs, STs, OBCs	0.02	-	0.02
	के अंतर्गत अतिरिक्		(h)	and Minorities' under various heads. For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General for 'Labour, Employment and Skill	0.11	-	0.11
	करने के लिए। (झ) विभिन्न शीर्षों के अं एवं कल्याण' हेतु को पूरा करने के वि	अतिरिक्त आवश्यकता	(i)	Development' under various heads. For meeting the additional requirement for 'Social Security and Welfare' under various heads.	0.66	-	0.66
	(ञ) आपदा अनुक्रिया नि आपदा के कारण	ाधि के लिए 'प्राकृतिक राहत' हेतु अतिरिक्त	(j)	For meeting the additional requirement for 'Relief on account of Natural Calamities'		-	
	आवश्यकता को पूर	। करन क लिए।		for Disaster Response Fund.	5.00	-	5.00

				(करो	ड़ रुपए Rupees	
अनुव	इ ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
55	(ट) पीओएल के अंतर्गत 'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। लक्षद्वीप पंचायत निदेशालय के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करने की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	55	(k) For meeting the additional requirement for 'Special Programmes for Rural Development' under P.O.L. Lakshadweep For meeting the additional requirement for releasing Grants-in-aid General towards implementation of Solid Waste Management Programme under Directorate of Panchayat.	1.50 4.75	-	1.50
आव	ास और शहरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹460 करोड़) और (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत नई संसद संबंधी कार्यों की जारी परियोजना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) परियोजनाओं, मिन्टो रोड पर लेखन सामग्री तथा मुद्रण भवन के लिए अतिरिक्त व्यय (₹50 करोड़) पूरा करने के लिए। (ख) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	59	Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting additional expenditure towards Major Works for (i) construction of various project under General Pool Office Accommodation (GPOA) (₹460 crore) and (ii) ongoing project of New Parliament works, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBEC)/Central Board of Direct Taxes (CBDT) projects, stationery & Printing Building at Minto Road (₹50 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Major Works for various projects under General Pool Residential Accommodation (GPRA).	-	510.00 100.00	510.00 100.00
सूक्ष्	न, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND			
٠.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (क) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सब्सिडियों (₹50 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना, (ii) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹25 करोड़) और (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।		MEDIUM ENTERPRISES Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹50 crore) under the scheme Prime Minister Employment Generation Programmme (PMEGP) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹25 crore) under the scheme Fund for Regeneration of Traditional industries (SFURTI) and (iii) Grantsin-aid General (₹1.50 crore) under the scheme ASPIRE (Promotion of innovation, Rural Industry and Entrepreneurship).	76.50	-	76.50
	(ख) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सब्सिडियों (₹450 करोड़) (ii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और (iv) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹222.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।		(b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹450 crore) under the scheme Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) (ii) Grants-in-aid General (₹3 crore) and Grants-in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme Infrastructure Development and Capacity Building (iii) Grants-in-aid General (₹8 crore) under the scheme ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹222.50 crore) under the scheme Fund for Regeneration of Traditional industries (SFURTI).	693.50	_	693.50

ा पुर्वा । यम मूर्त्यमान, म	2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	K OKAN13		(X111)
		(करो	ड़ रुपए Rupee	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 69 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अनुदान प्राप्तकर्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 69 Ministry of Minority Affairs For meeting expenditure towards Grants-in- aid General (₹2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹3.50 crore) for National Commission for Minorities.	6.00	-	6.00
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
73 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान के	GRIEVANCES AND PENSIONS 73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting meeting expenditure towards renovation of office space at			
नवीनीकरण के लिए खर्च को पूरा करने हेतु। (ख) स्वच्छता कार्यवाई योजना (₹1 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹9 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)-एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आई	Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi. (b) For meeting expenditure for National Programme for Civil Services and Capacity Building (NPCSCB)-Integrated Government Online Training Programme 2.0 (IGOT 2.0) under	11.04	-	11.04
जीओटी 2.0) हेतु खर्च को पूरा करने के लिए।	Swachhta Action Plan (₹ 1 Crore) and Information Technology (₹ 9 Crore).	10.00	-	10.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन स्कीम (पीएमयूवाई) में सब्सिडी के लिए अतिस्कि निधि प्रदान करने के लिए। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing additional funds towards Subsidies for LPG connection to poor Households, (PMUY). MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND	1,600.00	-	1600.00
•	WATERWAYS			
77 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास (एसएमपीके) द्वारा हुगली नदी और हित्दिया चैनल के तलकर्षण और रखरखाव हेतु सब्सिडी के लिए।	77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways For Subsidy for dredging and maintenance of River Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port Trust (SMPK).	101.62	-	101.62
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
84 रेल मंत्रालय (i) भारतीय रेलवे में 50 स्थानों पर स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र के संस्थापन की लागत के लिए ₹107.50 करोड़ और; (ii) बाईस (22) रेलवे स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले फ्लोर पिट व्हील लेथ के तहत कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) का लागत मूल्य ₹137.85 करोड़; और (iii) 36,407 मालडिब्बों में प्रत्येक पर ₹20,000 की दर से दोहरे पाइप ब्रेक प्रणाली के रिट्रोफिटमेंट के लिए ₹72.81 करोड़ की लागत को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) cost of installation of Automatic Coach Washing Plants at 50 locations across Indain Railways (₹107.50 crore) and (ii) cost of Computer Numerical Control (CNC) under floor pit wheel lathe to be installed at twenty two (22) railway locations (₹137.85 crore) and (iii) cost of ₹72.81 crore for retrofitment of twin pipe brake system @ ₹20,000 each in 36,407 wagons.		318.16	318.16
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND		-	. •
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 85 Ministry of Road Transport and			
रोप वे के विकास के लिए 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Highways For meeting additional expenditure under Major Works for Development of Ropeways.	-	100.00	100.00

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास विभाग	86 Department of Rural Development			
(क) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के	(a) For providing Grants for creation of			
सृजन के लिए अनुदान प्रदान करनाः (i)	Capital Assets for (i) "Capacity			
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 'उन्नति'	Building and Technical Support for			
परियोजना (₹0.06 करोड़) के लिए क्षमता	project UNNATI (₹0.06 crore) to			
निर्माण एवं तकनीकी सहायता और (ii)	Andaman and Nicobar Island and (ii)			
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	to clear the pending Fund Transfer			
योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख एवं	Orders in Union Territory of Ladakh			
संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप	and Union Territory of Andaman and			
समूह में लंबित निधि अंतरण आदेश को	Nicobar Island (₹65 crore) under			
स्वीकृत करना (₹65 करोड़)।	Mahatma Gandhi National Rural			
(400 400)	Employment Guarantee Scheme.	65.06	_	65.06
(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	(b) For "Capacity Building and Technical	03.00		03.00
योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर	Support for project UNNATI to release			
(विधानमंडल सहित) के लिए पूंजीगत आस्तियों	Grants for creation of capital assets to			
के सृजन हेतु अनुदान जारी करने हेतु उन्नति	÷			
परियोजना के लिए क्षमता निर्माण और	Jammu & Kashmir (with legislature) under Mahatma Gandhi National Rural			
		1.25		1.25
तकनीकी सहायता के लिए।	Employment Guarantee Scheme.	1.35	-	1.35
87 भूमि संसाधन विभाग	87 Department of Land Resources			
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलसंभर विकास	For providing Grants-in-aid General to			
कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्मख (बिना	Union Territory of Ladakh (without			
विधानमंडल) के लिए सामान्य सहायता अनुदान	Legislature) under the scheme Pradhan			
प्रदान करने के लिए।	Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed			
प्रदान पर्रस के लिए।		5.00		5.00
	Development Programme.	3.00	-	3.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
	TECHNOLOGY			
88 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Science and Technology			
नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के	For meeting additional expenditure towards			
लिए 'अनुसूचित जाति उप योजना' के लिए (₹20	Grants for creation of capital Assets under			
करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹10	Scheduled Castes Sub Plan (₹20 crore) and			
करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन	Tribal Area Sub Plan (₹10 crore) for			
के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	Innovation, Technology Development and			
के लिए।	Deployment.	30.00	-	30.00
	MINICEDY OF CULL DEVELOPMENT			
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	91 Ministry of Skill Development and			
31 antice 1440th out Cartelletti Anticia	Entrepreneuship			
(क) 'कौशल विकास' योजना के तहत सामान्य	(a) For meeting expenditure towards			
सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने	Grants-in-aid General under the scheme			
के लिए।	Development of Skills.	0.08		0.08
(ख) 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण	(b) For meeting expenditure towards Major	0.00		0.00
कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	Works under the scheme Secretariat.	_	56.00	56.00
	Works under the seneme secretariat.		30.00	30.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
	EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice And			
(क) (i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए	Empowerment (a) For meeting expenditure towards (i)			
वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप				
वाड्बट इाड्या पाएन वंग अवावस स्कालराशप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के	Grants for Creation of Capital Assets for Boys and Girls Hostel for OBCs			
बालकों तथा बालिकाओं की छात्रावास के				
बालवर्ग तथा बालवर्गजा का छात्रावास क	under PM Young Achievers Scholarship			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए Award Scheme for Vibrant India (PM अनुदान (₹7 करोड़) (ii) ओबीसी, ईबीसी YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया (पीएम (₹ 7 crore) (ii) Grants in aid General यशस्वी) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप under Top Class Schools (₹ 158.75 अवार्ड स्कीम में उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों crore) and Top Class Colleges (₹288.65 (₹158.75 करोड़) और उत्कृष्ट श्रेणी कॉलेजों crore) in the Scheme PM YASASVI for (₹288.65 करोड़) के तहत सामान्य सहायता OBCs, EBCs and DNTs (iii) अनुदान (iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी Scholarship/Stipend under Post Matric के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स Scholarship for SC Students (₹ 3413.12 स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) crore), Pre Matric Scholarship for SCs के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका, अनुसूचित जाति and Others (₹ 725 crore), Top Class विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति Schools (₹ 20 crore) and Top Class (₹3413.12 करोड़), अनुसूचित जाति और Colleges (₹ 50 crore) in the PM अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹725 YASASVI for OBCs, EBCs and DNTs करोड़), ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के and (iv) Grants-in-aid Salaries under Dr. Ambedkar International Centre (₹ 2.50 लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) 4665.02 crore). 4,665.02 के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹20 करोड़) और श्रेणी उत्कृष्ट कॉलेजों (₹50 करोड़) और (iv) डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट (b) For meeting expenditure towards इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड Grants for Creation of Capital Assets योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों for Boys and Girls Hostel for OBCs in और बालिकाओं को छात्रावास के तहत पूंजीगत the Scheme PM YASASVI for Vibrant आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान का व्यय India for OBCs EBCs and DNTs. 12.00 12.00 पुरा करने के लिए। (ग) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट (c) For meeting expenditure towards इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड Grants for Creation of Capital Assets योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों for Boys and Girls Hostel for OBCs in व बालिकाओं को छात्रावास के अंतर्गत पूंजीगत the Scheme PM YASASVI for Vibrant आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु व्यय India OBCs EBCs and DNTs. 1.00 1.00 पूरा करने के लिए। अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 94 अंतरिक्ष विभाग 94 Department of Space (क) इनसेट/जीसेट ट्रांसपॉन्डरों को पट्टे पर देने (a) For meeting expenditure towards Other के लिए सेवा प्रभार हेत् अन्य संविदात्मक Contractual services for Service सेवाओं का व्यय पूरा करने के लिए। Charges for Leasing INSAT/GSAT Transponders. 40.00 40.00 (ख) प्रौद्योगिकी प्रतिदर्श अंतरिक्षयान के लिए अन्य (b) For meeting expenditure towards Other पूंजीगत व्यय हेतु व्यय को पूरा करने के Capital Expenditure for Technology लिए। Demonstration Spacecraft. 50.00 50.00 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 97 वस्त्र मंत्रालय 97 Ministry of Textiles (क) (i) 'अन्य हथकरघा योजना' स्कीम के तहत (a) For meeting expenditure towards 1 वेतन सहायता अनुदान (₹3 करोड़) के लिए Grants-in-aid Salary (₹3 crore) under व्यय पूरा करने के लिए, (ii) 'एकीकृत ऊन the scheme Other Handloom Schemes विकास कार्यक्रम' योजना के तहत सामान्य 2 Grants-in-aid General under the सहायता अनुदान (₹1 करोड़) के लिए व्यय पूरा schemes (i) Integrated Wool करने के लिए और (iii) 'व्यापक पावरलूम क्लस्टर Development Programme (₹1 crore) विकास कार्यक्रम-पावरलुम मेगा क्लस्टर' स्कीम and (iii) Comprehensive Powerloom

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए। (ख) 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	Cluster Development Program - Powerloom Mega Cluster (₹1 crore). (b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Technical	5.00	-	5.00	
	Textiles Mission.	35.00	-	35.00	
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT				
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development				
(क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के	(a) For meeting expenditre towards Grants- in-aid General for National Commission for Protection of Child				
लिए। (ख) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	Rights (NCPCR). (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for National Commission for Protection of Child	1.26	-	1.26	
3	Rights (NCPCR).	0.10	-	0.10	
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS				
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports				
युवा छात्रावास के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Minor Works under the scheme Youth Hostel.	-	2.00	2.00	
कुल सांकेतिक	Total Token	0.59	0.13	0.72	

5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5. भारत की समेकित निधि में से ₹3595,95,00,000 Ind की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की the पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी।

5. An advance of ₹3595,95,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting contingency requirement. This will be recouped to the fund after the Supplementary Demands for Grants are approvel.

कुल योग
निवल नकद व्यय
तकनीकी पूरक
सांकेतिक पुरक

GRAND TOTAL	22,217.71	1,64,984.70	1,87,202.41
Net Cash Outgo	21,038.15	2,636.66	23,674.81
Technical Supplementary	1,178.97	1,62,347.91	1,63,526.88
Token Supplementary	0.59	0.13	0.72

विषय सूची CONTENTS

						करोड़ in ₹	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted		600.00	600.00	1
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक		MINISTRY OF AYURVEDA,					
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध		YOGA AND NATUROPATHY,					
तथा होम्योपैथी		UNANI, SIDDHA AND					
(आयुष) मंत्रालय		HOMOEOPATHY (AYUSH)					
 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिर्वि 	केत्सा,	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and					
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी		Naturopathy, Unani, Siddha and					
(आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02		0.02	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS					
		AND FERTILIZERS					
6 उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	0.01		0.01	3
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	1083.21	139.00	1222.21	4
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	178.24	1872.00	2050.24	5
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	0.01		0.01	6
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE					
		AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	भारित	10. Department of Commerce	Charged	0.50		0.50	7-8
	स्वीकृत		Voted	0.04	0.01	0.05	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक		15. Department of Food and					
वितरण विभाग	स्वीकृत	Public Distribution	Voted	1100.00		1100.00	9
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	0.01	0.02	10
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	18. Ministry of Defence (Civil)	Charged	1.52		1.52	11
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted		0.01	0.01	12
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION					
24. विद्यालयी शिक्षा और		24. Department of School Education					
साक्षरता विभाग	स्वीकृत	and Literacy	Voted	0.04		0.04	13
25. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	25. Department of Higher Education	Voted	0.03		0.03	14
पर्यावरण, वन और जलवायु		MINISTRY OF ENVIRONMENT,					
परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परि	वर्तन	27. Ministry of Environment, Forests					
21. 1919(1, 91 011) 9(1919 11)							

					(₹	करोड़ in र	₹crore)
				राजस्व	पूंर्ज	ो जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
28. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	370.00		370.00	16
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	0.01	2641.67	2641.68	17
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Voted	1750.00		1750.00	18
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted		0.01	0.01	19
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	0.02		0.02	20
40. राज्यों को अंतरण	भारित	40. Transfers to States	Charged	0.01		0.01	21
	स्वीकृत		Voted	•••	158999.99	158999.99	
मत्स्यपालन, पशुपालन और		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL					
डेरी कार्य मंत्रालय		HUSBANDRY AND DAIRYING					
42. पशुपालन और डेरी		42. Department of Animal Husbandry					
कार्य विभाग	स्वीकृत	and Dairying	Voted	0.03		0.03	22
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING					
	0	INDUSTRIES					
43. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	43. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01		0.01	23
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND					
		FAMILY WELFARE					
44. स्वास्थ्य और परिवार		44. Department of Health and					
कल्याण विभाग	स्वीकृत	Family Welfare	Voted	15917.89	545.66	16463.55	24-26
45. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	45. Department of Health Research	Voted	526.28		526.28	27
भारा उद्याग आर लाक उद्यम मत्रालय	ļ	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
46. भारी उद्योग विभाग	स्थीक न	AND PUBLIC ENTERPRISES	Voted	0.01	110.05	110.06	20
गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Department of Heavy Industry MINISTRY OF HOME AFFAIRS	Voted	0.01	110.03	110.06	28
गृह नेत्रालय 50. पुलिस	गरीक न	50. Police	Voted	0.02	0.01	0.03	29
50. पुरलस 54. लद्दाख	स्वीकृत स्वीकृत	54. Ladakh	Voted	0.02		0.03	30-31
55. लक्षद्वीप	स्वीकृत	55. Lakshadweep	Voted	0.11		0.11	32
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	रवावटूरा	MINISTRY OF HOUSING AND	Voicu	0.01	•••	0.01	32
onatti ont tiett and inner		URBAN AFFAIRS					
59. आवासन और शहरी		59. Ministry of Housing and					
कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	Urban Affairs	Voted		0.02	0.02	33
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI			****		
61. जल संसाधन, नदी विकास		61. Department of Water Resources,					
और गंगा संरक्षण विभाग		River Development and Ganga					
	स्वीकृत	Rejuvenation	Voted	50.00		50.00	34
विधि और न्याय मंत्रालय	C	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64. विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	23.25	0.00	23.25	35
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND					
		MEDIUM ENTERPRISES					
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		67. Ministry of Micro, Small and					
 मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.02		0.02	36
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
69. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01		0.01	37

					•	मरोड़ in रै	[*] crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	् पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कार्मिक, लोक शिकायत और		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
पेंशन मंत्रालय		GRIEVANCES AND PENSIONS					
73. कार्मिक, लोक शिकायत और	_	73. Ministry of Personnel, Public					
पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	Grievances and Pensions	Voted	0.02		0.02	38
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राल	य	MINISTRY OF PETROLEUM AND					
		NATURAL GAS					
75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक	_	75. Ministry of Petroleum and					
गैस मंत्रालय	स्वीकृत	Natural Gas	Voted	0.01		0.01	39
त्तन, पोत परिवहन एवं		MINISTRY OF PORTS, SHIPPING					
जलमार्ग मंत्रालय		AND WATERWAYS					
77. पत्तन, पोत परिवहन एवं		77. Ministry of Ports, Shipping					
जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	and Waterways	Voted	0.01		0.01	40
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
34. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	84. Ministry of Railways	Voted		0.01	0.01	41
पड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालर	य	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
		AND HIGHWAYS					
35. सड़क परिवहन और		85. Ministry of Road Transport					
राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	and Highways	Voted		0.01	0.01	42
गमीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
6. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	86. Department of Rural Development	Voted	0.02		0.02	43
7. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	87. Department of Land Resources	Voted	0.01		0.01	44
वेज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND					
		TECHNOLOGY					
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Science and Technology	Voted	0.01		0.01	45
होशल विकास और उद्यमशीलता		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT					
मंत्रालय		AND ENTREPRENEURSHIP					
o कौशल विकास और उद्यमशीलत 	Т	91. Ministry of Skill Development and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Entrepreneurship	Voted	0.01	10.01	10.02	46
प्तामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
अधिकारिता मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
92. सामाजिक न्याय और		92. Department of Social Justice					
अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	and Empowerment	Voted	0.03		0.03	47
भंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
94. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	48
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION					
95. सांख्यिकी और कार्यक्रम		95. Ministry of Statistics and					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	1172.50		1172.50	49
फप ड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
97. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	0.02	66.21	66.23	50
नहिला और बाल विकास	-	MINISTRY OF WOMEN AND					
मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
100. महिला और बाल विकास		100. Ministry of Women and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	0.02		0.02	51
	·c	r · ·		- 7-			

					(₹ करोड़ in ₹cror		
				राजस्व	। पूंच	नी जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	e Capita	al Total	Page
युवा मामले और		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
खेल मंत्रालय		AND SPORTS					
101. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	43.72	0.01	43.73	52
कुल जोड़		GRAND TOTAL		22217.71	164984.70	187202.41	
	भारित		Charged	2.03	0.00	2.03	
	स्वीकृत		Voted	22215.68	164984.70	187200.38	
अनुबंध		ANNEXURE					53

मांग संख्या DEMAND NO 3

Supplementary Estimate of the amount now required:

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

Revenue

Capital

Revenue

Revenue

Capital

Capital

Total

Total

I. ORIGINAL GRANT:

Total (Original plus Supplementary)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत जॉड़ Total Voted 16391.20 16392.20 11403.20 11403.20 27794.40 27795.40 600.00 600.00 600.00 600.00 28395.40 28394.40 16391.20 16392.20 12003.20 12003.20 जॊड

II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

(a)

Charged Voted Total CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research 520.00 520.00 6801-Loans for Power Projects 80.00 (खb) 80.00 Total (Capital Section) 600.00 600.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना के (क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 520 करोड़)।

।. मूल अनुदान: राजस्व

जोड़ (मूल और प्रक)

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:

5401-परमाण् ऊर्जा अन् संधान पर पूंजी परिव्यय

6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण

पूंजी

जोड़

राजस्व

पूंजी

जोड

राजस्व

पूंजी

पूंजी भाग

मुख्य शीर्ष

(ख)

जोड़ (पूंजी भाग)

अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

भाविनी दवारा एसबीआई को ऋण का भ्गतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 80 करोड़ के अग्रिम अन्दान की प्रतिपूर्ति करने के लिए (₹ 480 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 80 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

भारित

Charged

1.00

1.00

1.00

1.00

भारित

meeting additional expenditure towards International (ITER) Thermonuclear Experimental Reactor (₹ 520 crore).

स्वीकृत

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India of $\overline{\epsilon}$ 80 crore for making payment of loan to SBI taken by BHAVINI (₹ 480 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 80 crores.

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जॊड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2970.30		2970.30
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		2970.30		2970.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	···	2970.32		2970.32
राजस्व	Revenue	•••	2970.32		2970.32
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	h अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	r under the following Major I	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	_			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(क a)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

यह पूरक अनुदान निम्नालाखत हतु अपादात

निम्नलिखित हेत् व्यय पूरा करने के लिए: (i) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (स्वच्छता कार्य योजना) (₹ 0.01 करोड़) (ii) चिकित्सकीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेत् केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अन्दान (₹ 42.05 करोड़) और सामान्य सहायता अन्दान (एससीएसपी) (₹ 0.88 करोड़) को श्रूरू करना (iii) राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) नामक नवगठित सांविधिक निकाय के संबंध में प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.80 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.17 करोड़) को श्रूरू करने के लिए। (iv) नई स्कीम आयुर्ज्ञान और उसकी उप-स्कीमों नामत: (।) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षण और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.56 करोड़) और अन्य प्रभारों (₹ 0.25 करोड़) के अंतर्गत नए शीर्षों को शुरू करने के लिए (II) केंद्रीय क्षेत्र की विदयमान स्कीमों नामत: आयुष कार्मिकों का प्नर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई) और अन् संधान संस्थानों (निजी/अर्द्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविदयालयों/गैर सरकारी संगठनों) के माध्यम से संस्थान की चहारदीवारी से बाहर अनु संधान परियोजनाओं आदि को एक साथ मिलाकर आयुष और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.03 करोड़) और अन्य प्रभारों (₹ 0.02 करोड़) में अनु संधान और नवाचार (v) आयुर्स्वास्थ्य योजना के तहत सामान्य सहायता अन्दान (₹ 17.82 करोड़), अन्य प्रभारों (₹ 0.09 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.06 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (vi) केंद्रीय क्षेत्र की विदयमान स्कीमों नामतः एएसयू औषधियों हेतु औषध सतर्कता पहलें और आयुष हेत् केंद्रीय दवा नियंत्रक को एक साथ जोड़कर नई स्कीम आयुष औषधी गुणवता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयू एसवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.20 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.10 करोड़), अन्य प्रभारों (₹ 0.10 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.20 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.03 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

For meeting expenditure under (i) Grant in Aid General (Swachhta Action Plan) (₹ 0.01 crore) in respect of National Institute of Sowa Rigpa (NISR) . (ii) For expenditure under Grant-in-Aid-General (₹ 42.05 crore) and Grant-in-Aid-General (SCSP) (₹ 0.88 crore) under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants. (iii) For expenditure under Grant-in-Aid General (₹ 7.80 crore), Grant-in-Aid Salary(₹ 3.17 crore) in respect of the newly constituted Statutory Body namely National Commission for Indian System of Medicine (NCISM). (iv) For expenditure under AYURGYAN (I) Capacity Building & Continuing Medical Education in AYUSH and its object heads viz. GIA General (₹ 5.56 crore) and Other Charges (₹ 0.25 crore), (II) Research and innovation in AYUSH and its object heads viz. Grant-in-Aid General (₹ 8.03 crore) and Other Charges (₹ 0.02 crore) by merging existing central sector schemes namely Re-orientation Training Programme of AYUSH personnel/continuing Medical Education (ROTP/CME) and Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO), etc. (v) For expenditure under Grant-in-Aid General (₹ 17.82 crore), Other Charges (₹ 0.09 crore) and Professional Services (₹ 0.06 crore) under AYURSWASTHYA Yojana (vi) For expenditure under Grant-in-Aid General(₹ 5.20 crore), Grant for creation of capital assets(₹ 0.10 crore), Other Charges(₹ 0.10 crore) and Professional Services(₹ 0.20 crore) under AYUSH Oushadhi Gunvatta evum Uttapadan Samvardhan Yojana (AOGUSY) by merging existing central sector schemes namely Pharmacovigilance initiatives for ASU drugs and Central Drug Controller for AYUSH.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant -in-Aid General under National Institute of Sowa Rigpa (₹ 0.03 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(5 975	(15) (III & CI OI e S,	/
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		83596.77	83596.77	
पूंजी	Capital		444.62	444.62	
जोड़	Total		84041.39	84041.39	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		84041.40	84041.40	
राजस्व	Revenue		83596.78	83596.78	
प्ंजी	Capital	•••	444.62	444.62	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for a		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100.00 करोड़) के तहत ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु और (ii) अनुसंधान तथा विकास के लिए (₹ 0.10 करोड़) व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(i) meeting expenditure for Brahamputra Valley Fertilisers and Chemicals Ltd. (BVFCL) under Grant-in-aid (₹ 100.00 Crore) and (ii) meeting expenditure towards Research & Development (₹ 0.10 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			('	(40KIŞ)	(III CLOIG	25)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		461.29		461.29	
पूंजी	Capital		9.12		9.12	
जोड़	Total		470.41		470.41	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		1083.21		1083.21	
पूंजी	Capital		139.00		139.00	
जोड़	Total		1222.21		1222.21	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1692.62		1692.62	
राजस्व	Revenue	•••	1544.50		1544.50	
पूंजी	Capital		148.12		148.12	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिः	खाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		ead			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2852-उद्योग	2852-Industries		1083.21	(कa)	1083.21	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
6857-रसायन और भेषज उदयोगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries		139.00	(खb)	139.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1222.21	/	1222.21	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) आईडीपीएल संयंत्र स्थल-। में से 50 एकड़ भूमि के अंतरण के एवज में राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (एनआईपीईआर), हैदराबाद को इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यु टिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के भारत सरकार के ऋण की माफी (₹ 889.50 करोड़) और (ii) ₹ 345.24 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर 20.55 एकड़ भूमि के अंतरण के एवज में राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (एनआईपीईआर), कोलकाता को बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के भारत सरकार के ऋण (₹ 107.49 करोड़) और प्रोदभूत ब्याज (₹ 86.22 करोड़) की माफी।

₹ 1083.21 करोड़ की अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख)

(i) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) (₹ 118 करोड़) और (ii) राजस्थान इग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) (₹ 21 करोड़) के कर्मचारियों की लंबित देयताओं को ऋण के रूप में चुकाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

Waiver of Government of India Loan of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) (₹ 889.50 crore) against transfer of 50 acres of land out of IDPL Plant Site-I, Hyderabad to National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad and (ii) Waiver of Gol Loan (₹ 107.49 crore) and accrued interest (₹ 86.22 crore) of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL) against transfer of 20.55 acres of land at reserve price of ₹ 345.24 crore to National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Kolkata.

Taking into account matching receipts of ₹ 1083.21 crore, this will not entail cash outgo.

- additional expenditure to clear pending employee dues of (i) Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL) (₹ 118 crore) and
- (ii) Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (RDPL) (₹ 21 crore) as loan.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

See page 8 of the Demands for G	rants of Central Government for	ille year 20	121-2022)		/) // *	
					र कराड़ ,) (In ₹ croi	
			भारित	स्वीकृत		ज <u>ो</u> ड़	
			Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
ाजस्व • -	Revenue			3184.15		3184.15	
र् र्जी	Capital			40.52		40.52	
नोड़	Total			3224.67		3224.67	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now requi	red:				
ाजस्व ∙ -	Revenue			178.24		178.24	
<u> </u> ंजी	Capital			1872.00		1872.00	
गोड़	Total Total (Original plus Supplementary)		•••	2050.24		2050.24	
गोड़ (मूल और प्रक)			•••	5274.91		5274.91	
ज स् व	Revenue			3362.39		3362.39	
् जी	Capital		•••	1912.52		1912.52	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be	•		Head			
			भारित	स्वीकृत		जॊड़	
			Charged	Voted		Total	
ज स् व भाग	REVENUE SECTION						
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		•••	178.24	(क a)	178.24	
तुंजी भाग	CAPITAL SECTION				. ,		
्र नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
'053-नागर विमानन के लिए ऋण	7053-Loans for Civil Aviation			1872.00	(खb)	1872.00	
नोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)			2050.24	()	2050.24	
	rotal (cupplemental)						
ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppler	nentary Grants are required	for:			
	ल करने के कारण संशोधित भ्गतान के लिए	(a)	(i) Grants-in-aid for Creat		Assets u	nder Purchas	
विशेष अतिरिक्त खंड उड़ान हेत	। इनए विमान की खरीद के अंतर्गत पूंजीगत	•	of New Aircraft for	Special Extra	Section	Flight(SES	
आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान ((₹ 178.24 crore).			•	
···	+ +		(:) 0 1 : :10 1				

(b)

(क)	(i) एयर इंडिया- जीएसटी शामिल करने के कारण संशोधित भुगतान के लिए विशेष अतिरिक्त खंड उझन हेतु नए विमान की खरीद के अंतर्गत पूंजीगत
	आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 178.24 करोड़)।
	(ii) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के
	अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें
	₹ 178.24 करोड़ का नकद व्यय होगा।
(ख)	भारत की आकस्मिकता निधि से लिए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया
, ,	लिमिटेड को ऋण और अग्रिम (₹ 1872 करोड़)।
	इसमें नकद व्यय होगा।

- (ii) Grants-in-aid General under National Aviation University to meet the additional expenditure (₹ 1.50 crore) .
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 178.24 crore.
- Loans & Advances to Air India Ltd. for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 1872 crore).
 - The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(र कराड़	(in ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		534.88	534.88
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total		534.88	534.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		534.89	534.89
राजस्व	Revenue		534.89	534.89
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und			
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2 803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 'कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा' उप स्कीम के अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.72 करोड़) (ii) 'कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी)' उप स्कीम के अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत (₹ 22 करोड़) और अनुस्चित जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत (₹ 25.17 करोड़) सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(i) Meeting expenditure on 'subsidies' under Special Component Plan for Scheduled Castes of sub-scheme 'Conservation Safety in Coal Mines' (₹ 2.72 crore). (ii) Meeting expenditure on 'subsidies' under Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 22 crore) and under Tribal Area Sub-Plan (₹ 25.17 crore) of sub-scheme 'Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas (DTIC).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग **DEPARTMENT OF COMMERCE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ कर		(4) (15)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4699.01		4699.01
प्ंजी	Capital		287.00		287.00
जोड़	Total		4986.01		4986.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	0.50	0.04		0.54
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	0.50	0.05		0.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	4986.06		4986.56
राजस्व	Revenue	0.50	4699.05		4699.55
पूंजी	Capital		287.01		287.01
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के .			nior Hood	la.
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be			ајог пеас	
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	भारित	स्वीकृत	ајог пеас	जॊड़
				ајог пеас	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	भारित	स्वीकृत	ајог пеас	जॊड़
मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD	भारित	स्वीकृत	ајог пеас	जॊड़
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	REVENUE SECTION	भारित	स्वीकृत	ajoi Head (खb)	जॊड़
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण	REVENUE SECTION MAJOR HEAD	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जৗड़ Total
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services	भारित Charged 0.50	स्वीकृत Voted (कa) 0.01	(खb)	जৌ ड़ Total 0.51
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2407-Plantations	भारित Charged 0.50 	स्वीकृत Voted (कa) 0.01 0.01	(खb) (गc)	जৌ ड़ Total 0.51 0.01
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन जोड़ (राजस्व भाग)	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2407-Plantations 2552-North Eastern Areas	भारित Charged 0.50 	स्वीकृत Voted (कa) 0.01 0.01 0.01	(खb) (गc) (घd)	জাঁহ Total 0.51 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2407-Plantations 2552-North Eastern Areas 3453-Foreign Trade and Export Promotion	भारित Charged 0.50 	स्वीकृत Voted (कa) 0.01 0.01 0.01 0.01	(खb) (गc) (घd)	জাঁহ Total 0.51 0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन जोड़ (राजस्व भाग)	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2407-Plantations 2552-North Eastern Areas 3453-Foreign Trade and Export Promotion Total (Revenue Section)	भारित Charged 0.50 	स्वीकृत Voted (कa) 0.01 0.01 0.01 0.01	(खb) (गc) (घd)	জাঁহ Total 0.51 0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2407-Plantations 2552-North Eastern Areas 3453-Foreign Trade and Export Promotion Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	भारित Charged 0.50 	स्वीकृत Voted (कa) 0.01 0.01 0.01 0.01	(खb) (गc) (घd)	জাঁহ Total 0.51 0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2407-पौधरोपण 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat-Economic Services 2407-Plantations 2552-North Eastern Areas 3453-Foreign Trade and Export Promotion Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	भारित Charged 0.50 0.50	स्वीकृत Voted (कa) 0.01 0.01 0.01 0.04	(평b) (키c) (ঘd) (종e)	জীর Total 0.51 0.01 0.01 0.01 0.54

(b)

(c)

(d)

(क)	'सचिवालय' योजना के अंतर्गत अन्य प्रभारों (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
	अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
(ख)	'सचिवालय' के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 76.79 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	(i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 213.77 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ii) 'काफी बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.79 करोड़) सब्सिडी (₹ 10.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (iii) 'रबर बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 60.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए और (iv) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.65 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.85 करोड़) और सब्सिडी (₹ 11.81 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ঘ)	(i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 229.72 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (ii) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 3.69 करोड़) हेतु

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

व्यय को पूरा करने के लिए।

अन्दान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Meeting expenditure towards Other Charges (₹ 0.50 crore) under 'Secretariat'.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Meeting expenditure towards Professional Services (₹ 76.79 crore) under 'Secretariat'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 213.77 crore) and Grants in Aid Salary (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Meeting expenditure towards Grants in Aid Salary (₹ 10.79 crore), Subsidies (₹ 10.00 crore) and Grants in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iii) Meeting expenditure towards Grants in Aid Salary (₹ 60.00 crore) under the scheme 'Rubber Board' and (iv) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 3.65 crore), Grants in Aid Salary (₹ 0.85 crore) and Subsidies (₹ 11.81 crore) under the scheme 'Spices Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 229.72 crore) under the scheme 'Tea Board' and (ii) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 3.69 crore) under the scheme 'Spices

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e)

(f)

(ङ) 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हेतु परिवहन और विपणन सहायता' (टीएमए) योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 500.00 करोड़) हेतु ट्यय को पूरा करने के लिए और (ii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि. (एमएमटीसी) योजना के अंतर्गत ऋण और अग्रिम (₹ 80.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।

(च)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 500.00 crore) under the scheme 'Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products', and (ii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Centre For Research on International Trade-CRIT'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards Loans and Advances (₹ 80.00 crore) under the scheme 'Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1 4)	(1) (111 (CI OI ES)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	251248.34	251248.34
पूंजी	Capital	***	52725.96	52725.96
जोड़	Total	•••	303974.30	303974.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue	***	1100.00	1100.00
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	•••	1100.00	1100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	305074.30	305074.30
राजस्व	Revenue		252348.34	252348.34
प्ंजी	Capital		52725.96	52725.96
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अ	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		1100.00	1100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

2019-20 सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने हेतु (₹ 1100 करोड़) ।

providing assistance to Sugar Mills for 2019-20 season

(₹ 1100 crore).

इसमें ₹ 1100 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1100 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			,	-1/(I)	(111 (610163)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2609.23		2609.23
पूंजी	Capital		78.76		78.76
जोड़	Total		2687.99		2687.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2688.01		2688.01
राजस्व	Revenue		2609.24		2609.24
पूंजी	Capital		78.77		78.77
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		jor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(खb)	0.01
परिव्यय	Culture			. ,	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अन्दान मांगा जाता है।

(क)

1. सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत निम्निखित व्यय को पूरा करने करने हेतु (i) कला संस्कृति विकास योजना - (₹ 4 करोइ), (ii) अकादिमियों को सहायता - (₹ 3 करोइ), (iii) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 55.23 करोइ), संग्रहालयों को सहायता (₹ 16.62 करोइ) (iv) बीटीआई और स्मारक - (₹ 0.20 करोइ) और (v) अनुदानग्राही निकाय (₹ 0.40 करोइ) 2. निम्निखित हेतु पूंजीगत आस्तियों के स्ज़न के लिए अनुदान अपेक्षित है: (i) अकादिमियों को सहायता - (₹ 2.50 करोइ), (ii) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 5.06 करोइ) और (iii) संग्रहालयों को सहायता (₹ 13.71 करोइ) 3. संग्रहालयों को सहायता हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 6.50 करोइ) 4. निम्निखित हेतु व्यावसायिक सेवाएं : (i) स्कीम - "प्रोजेक्ट मौसम" के लिए वैश्वक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 0.25 करोइ) और 5. स्कीम "प्रोजेक्ट मौसम" हेतु वैश्वक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 3.25 करोइ) के लिए अन्य प्रभार।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) पुस्तकालय और अभिलेखागार (₹ 10.26 करोड़) से संबंधित प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत व्यय को पूरा करने हेतु । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

The supplementary Grants are required for:

1. For meeting expenditure under Grants-in-aid General for (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 4 crore), (ii) Support to Akademies (₹ 3 crore), (iii) Support to Libraries (₹ 55.23 crore) Support to Museums (Rs 16.62 crore) (iv) BTI & Memorials (Rs 0.20 crore) and (v) Grantee Bodies (₹ 0.40 crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Support to Akademies-(₹ 2.50 crore), (ii) Support to Libraries (₹ 5.06 crore) and (iii) Support to Museums (₹ 13.71 crore), 3. Grants in aid Salaries for Support to Museums (₹ 6.50 crore), 4. Professional Services for (i) Global Engagement and International Cooperation (₹ 0.25 crore) for Scheme "Project Mausam", and 5. Other Charges for Global Engagement and International Cooperation (₹ 3.25 crore) for "Project Mausam".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For meeting expenditure under Major Works pertaining to Library and Archives (₹ 10.26 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (सिविल) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 देखिये)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(1 47)	3 / (III \ CIOI C		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.70	30088.23	30088.93		
पूंजी	Capital	50.00	7698.41	7748.41		
जोड़	Total	50.70	37786.64	37837.34		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:				
राजस्व	Revenue	1.52		1.52		
पूंजी	Capital	***		***		
जोड़	Total	1.52		1.52		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>52.22</i>	37786.64	37838.86		
राजस्व	Revenue	2.22	30088.23	30090.45		
पूंजी	Capital	50.00	7698.41	7748.41		
	II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	प शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:			
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	_				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	1.52		1.52		

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कैंटीन स्टोर विभाग के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न ₹ 1.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1.52 crore arising out of court decrees for Canteen Stores Department. Considering the savings available in voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4	KIŞ / (III X CI OI ES)			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue						
पूंजी	Capital	81.87	134978.85	135060.72			
जोड़	Total	81.87	134978.85	135060.72			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	l:					
राजस्व	Revenue	***					
पूंजी	Capital		0.01	0.01			
जोड़	Total		0.01	0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	81.87	134978.86	135060.73			
राजस्व	Revenue						
पूंजी	Capital	81.87	134978.86	135060.73			
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services		0.01	0.01			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सेना के तहत 'मिलिट्री फार्म' के लिए अतिरिक्त देयता के कारण ₹ 0.03 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, ₹ 0.01 करोड़ का सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure of \ref{thm} 0.03 crore on account of additional liability for 'Military Farms' under Army.

Taking into account the savings available within the same section of the grant a token supplementary of \ref{thm} 0.01 crore is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 24

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये) (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(See	page 2	5 of the Demands for Grar	nts of Central Government fo	r the	year 20	21-2022)			
						भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़	` <i>) (In ₹ crores,</i> जॊड़ Total
।. मूर	न अनुदान	ī:	I. ORIGINAL GRANT:			•			
राजस्य	_		Revenue				103673.66		103673.66
पूंजी			Capital						
जोड़			Total				103673.66		103673.66
इस स	मय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the required:	amount	now				
राजस्व	ब		Revenue			•••	0.04		0.04
पूंजी			Capital			•••			
जोड़			Total				0.04		0.04
	मूल और प् -	एक)	Total (Original plus Supplement	ary)			103673.70		103673.70
राजस्य	1		Revenue				103673.70		103673.70
पूंजी			Capital				•••		
			II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्न II. This Supplementary Grants w		-				
						भारित	स्वीकृत		जॊड़
						Charged	Voted		Total
<i>राजर</i> मुख्य	<i>व भाग</i> शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
2202-	सामान्य '	शिक्षा	2202-General Education			•••	0.01	(क a)	0.01
2552-	-पूर्वोत्तर क्षे	त्र	2552-North Eastern Areas			•••	0.01	(खb)	0.01
		कारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Gov	ernmer/	nts	•••	0.01	(गc)	0.01
3602- अनुदा		क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Ter	ritory G	iovernmei	nts	0.01	(ਬd)	0.01
जोड़ (र	राजस्व भा	ग)	Total (Revenue Section)				0.04		0.04
यह पूर	क अनुदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The	suppleme	ntary Grants are require	d for:		
(क)	(i) (ii)	कार्यक्रम (₹ 7.84 करोड़) के अंतर्गत	लर (₹ 2.66 करोड़), नया भारत साक्षरता सामान्य सहायता अनुदान। लर (₹ 21.77 करोड़) के अंतर्गत प्ंजीगत	(a)	(i) (ii)	Grants-in-Aid General crore), Exemplar (₹ Programme (₹ 7.84 crogramts for Creation of (₹ 15.07 crore), Exemp	2.66 crore ore) Capital Assets	n), New under Sa	India Literacy
	(iii)	समग्र शिक्षा (₹ 140 करोड़), एग्जेंप कार्यक्रम (₹ 15 करोड़) के अंतर्गत व्य	लर (₹ 26 करोड़), नया भारत साक्षरता ावसायिक सेवाएं ।		(iii)	Professional Services Exemplar (₹ 26 crore crore)	_		
	(iv)	अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत	साक्षरता कार्यक्रम (₹ 0.25 करोड़) के तों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		(iv)	Advertising and Public India Literacy Program Taking into account the	me (₹ 0.25 cror e savings avail	e) able in th	
(ख)	(i)	अनुदान मांगा जाता है। एग्जेंप्लर (₹ 60 करोड़), नया भारत अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	साक्षरता कार्यक्रम (₹ 17.48 करोड़) के	(b)	(i)	of the Grant, a token si Grants-in-Aid General Literacy Programme (₹	under Exempla		rore), New India
	(ii)	9	स्तियों के सृजन के लिए अनुदान		(ii)	Grants for Creation (₹ 40 crore)	•	Assets	underExemplar
		'''	तों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक			Taking into account the of the Grant, a token si	_		ne same section
(ग)	(i)	· ·	ारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 110.93 करोड़) ा।	(c)	(i)	Grants-in-Aid General India Literacy Program	under Exempla	ar (₹ 521	.29 crore), New
	(ii)	करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचर	यों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 347.54 तों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		(ii)	Grants for Creation (₹ 347.54 crore) Taking into account the	of Capital A	Assets u	
(ঘ)	(i)		(2) नया भारत साक्षरता कार्यक्रम	(d)	(i)	of the Grant, a token so Grants-in-Aid General	under (1) Exe	emplar (₹	· ·
	(ii)	(₹ 10.70 करोड़)।	गस्तियों के सृजन के लिए अनुदान		(ii)	(2) New India Literacy Grants for Creation (₹ 10.70 crore)	of Capital A	Assets u	nder Exemplar
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत अनुदान मांगा जाता है।	तों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक प्र्क			Taking into account the of the Grant, a token si			ne same section

मांग संख्या DEMAND NO 25

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1.47)		(1) / (11) (6) 61	
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	65325.15		65325.15	
पूंजी	Capital	***	25.50		25.50	
जोड़	Total	•••	65350.65		65350.65	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.03		0.03	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		0.03		0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		65350.68		65350.68	
राजस्व	Revenue		65325.18		65325.18	
पूंजी	Capital		25.50		25.50	
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	ांतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur	nder the following Major	Head			
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa)	0.01	
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		0.01	(खb)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03	

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदानः- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹ 4.64 करोइ), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 109.08 करोइ) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹ 126 करोइ), वैश्विक अनुबंध संबंधी पहलें (₹ 9 करोइ), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 5 करोइ), आयुर्विज्ञान संस्थान (बीएचयू) (₹ 16 करोइ), मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹ 1.6 करोइ), शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमएमएसटीटी) पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (₹ 34.20 करोइ) को अनुदान, (iii) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹ 0.46 करोइ) हेतु वेतन सहायता अनुदान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 187.92 करोइ) और (iv) 'व्यावसायिक सेवाए': आभासी कक्षाएं और बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रमों (एमओओसी) की स्थापना (₹ 15 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.18 करोड़) और (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 7.50 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (i)शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमएनएसटीटी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.80 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 19 करोड़), एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 15 करोड़) और (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under the following schemes:-National Initiative for Excellence in humanities and social sciences [₹ 4.64 crore], Grants to Central Universities [₹ 109.08 crore] (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: World Class Institutions [₹ 126 crore]. Initiatives for global engagement [₹ 9 crore], Grants to Central Universities [₹ 5 crore], Grants to Institute of Medical Sciences (BHU) [₹ 16 crore], National Initiative for Excellence in humanities and social sciences [₹ 1.6 crore], Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) [₹ 34.20 crore] (iii)Grants-in-aid Salaries for National Initiative for Excellence in humanities and social sciences ₹ 0.46 crorel. Grants to Central Universities ₹ 187.92 crore] and (iv) 'Professional Services' for Setting up virtual classrooms and massive open online courses (MOOCs) ₹ 15 crorel

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(I) Grants-in-aid General under Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 7.18 crore] and (ii) 'Professional Services' under Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 7.50 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants for creation of capital assets under Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) [₹ 3.80 crore] (ii) Grants-in-aid Salaries under Grants to Central Universities [₹ 19 crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 15 crore] and (iii)Grants-in-aid General under Grants to Central Universities [₹ 8.50 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(1 4/1/	\$ / (III \ CI OI C3)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3014.10	3014.10
पूंजी	Capital		122.48	122.48
जोड़	Total		3136.58	3136.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		•••	***
जोड़	Total	***	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3136.59	3136.59
राजस्व	Revenue		3014.11	3014.11
पूंजी	Capital	•••	122.48	122.48
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d :	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 11.10 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants for creation of Capital Assets for National Biodiversity Authority (\mathfrak{T} 11.10 crore) and (ii) Grants-in-aid-General for Swachhta Action Plan (\mathfrak{T} 6.40 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

		(\ -7.\	rkiş / (ili X Ci Oli e	
	भारित	स्वीकृत	जॊड़	
	Charged	Voted	Total	
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue	0.03	16663.95	16663.98	
Capital		1490.75	1490.75	
Total	0.03	18154.70	18154.73	
Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
Revenue		370.00	370.00	
Capital				
Total		370.00	370.00	
Total (Original plus Supplementary)	0.03	18524.70	18524.73	
Revenue	0.03	17033.95	17033.98	
Capital		1490.75	1490.75	
II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		ead:		
	भारित	स्वीकृत	जॊड़	
	Charged	Voted	Total	
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
2061-External Affairs		370.00	370.00	
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now require Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के II. This Supplementary Grant will be accounted for the REVENUE SECTION MAJOR HEAD	ChargedI. ORIGINAL GRANT:Revenue0.03Capital0.03Supplementary Estimate of the amount now required:RevenueCapitalTotal (Original plus Supplementary)0.03Revenue0.03CapitalII. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major He#IRCAChargedREVENUE SECTIONMAJOR HEAD	शारित (Charged)स्वीकृत (Charged)I. ORIGINAL GRANT:Revenue0.0316663.95Capital1490.75Total0.0318154.70Supplementary Estimate of the amount now required:Revenue370.00Capital370.00Total (Original plus Supplementary)0.0318524.70Revenue0.0317033.95Capital1490.75II. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:शारितस्वीकृतChargedVotedREVENUE SECTION MAJOR HEAD	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनु संधान एवं नवोन्मेष के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 370 करोड़)

इसमें नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under Research and Innovation

(₹ 370 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

प्रतिभृतियां जारी करने के माध्यम से मूल्यों के रखरखाव (एमओवी)-

आईएमएफ बाध्यता हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2641.67 करोड़)।

अनु रूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख)

				(₹ करोड़	(In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	-			
राजस्व	Revenue		4649.12		4649.12
पूंजी	Capital		94900.41		94900.41
जोड़	Total		99549.53		99549.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		2641.67		2641.67
जोड़	Total		2641.68		2641.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		102191.21		102191.21
राजस्व	Revenue		4649.13		4649.13
पूंजी	Capital	•••	97542.08		97542.08
•	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur		Head		
	, ,	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	-			
मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			. ,	
् मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5466-अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	s	2641.67	(खb)	2641.67
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	···	2641.68	, ,	2641.68
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppleme	ntary Grants are require	ed for:		
(क) नए विकास बैंक के भारतीय क्षे	ात्रीय कार्यालय को दो वर्षों के लिए निःशुल्क (a)	Providing of furnished	office accommo	dation ar	d office facilities
सुसज्जित कार्यालय और	कार्यालय सुविधा प्रदान करने के लिए	at free of cost for two	years to Indian	Regiona	al Office of New
(₹ 0.53 करोड़)।		Development Bank (₹	0.53 crore).		
	* * * *				
अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक	Taking into account the	e savings availa	ble in the	same section of

Meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)- IMF

Taking into account the matching receipts, the above

Obligation (₹ 2641.67 crore) through issue of Securities.

expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 31

वितीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4){	15 / (111 \ C101 C3)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3710.78	3710.78
पूंजी	Capital	***	47800.03	47800.03
जोड़	Total		51510.81	51510.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		1750.00	1750.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1750.00	1750.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		53260.81	53260.81
राजस्व	Revenue		5460.78	5460.78
पूंजी	Capital	•••	47800.03	47800.03
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un	der the following Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3465-सामान्य वितीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions		1750.00	1750.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ऋण अधिस्थगन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के तहत उधारकर्ता के संबंध में उधार देने वाली संस्थाओं को चक्रवृद्धि ब्याज सहायता (₹ 1750.00 करोड़) ।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Compounded interest support to lending institutions (₹ 1750.00 crore) in respect of borrowers under compounded interest support scheme for loan moratorium.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(र कराः	\$) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		8180.34	8180.34
पूंजी	Capital		352.00	352.00
जोड़	Total		8532.34	8532.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	:		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	8532.35	8532.35
राजस्व	Revenue		8180.34	8180.34
पूंजी	Capital		352.01	352.01
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	0.01
मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	भारित Charged	स्वीकृत Voted	Total

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ई-ब्लॉक, बीकेसी, मुम्बई के आयकर कार्यालय भवन के विकास और पुनर्निर्माण के लिए निर्माण पूर्व कार्यकलाप हेतु ₹ 5.61 करोड़ की समर्थ लागत को पूरा करने के लिए ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting the enabling cost of ₹ 5.61 crore for preconstruction activities for the development and reconstruction of Income Tax office building of E Block, BKC, Mumbai

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(5 975	15) (III (CIOLES)	1
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.50	20906.77	20907.27	
पूंजी	Capital	***	452.00	452.00	
जोड़	Total	0.50	21358.77	21359.27	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	21358.79	21359.29	
राजस्व	Revenue	0.50	20906.79	20907.29	
प्ंजी	Capital		452.00	452.00	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs		0.02	0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों (आरओडीटीईपी) की छूट के प्रावधान को बढ़ाने/राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क (आरओएससीटीएल) योजना में छूट और भारत से निर्यात सेवा योजना (एसईआईएस)/भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआईएस)/आरओएससीटीएल/विविध अन्य योजनाओं के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए। सांकेतिक राशि प्रस्तावित है।

यह व्यय तदनुरूपी प्राप्तियों के अनुरूप है । अतः इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

augmenting the provision of Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)/Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) scheme and to pay off the arrears for Service Exports from India Scheme (SEIS)/Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) /RoSCTL/Miscellaneous other schemes. A token amount is proposed.

The expenditure is matched with the corresponding receipts, hence, there will be no additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 40

राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

See page 44 of the Demands for	•	,		(₹ करोड) (In ₹ crores,
		भारित	स्वीकृत	(<i>९ फराइ) (III र टाठा es,</i> जोड
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	onargou	70.00	, ota
राजस्व	Revenue	220843.00	71490.77	292333.77
पूंजी	Capital	46850.00	10000.01	56850.01
जोड	Total	267693.00	81490.78	349183.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue	0.01	•••	0.01
पूंजी	Capital		158999.99	158999.99
जोड़ जोड़	Total	0.01	158999.99	159000.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	267693.01	240490.77	508183.78
राजस्व	Revenue	220843.01	71490.77	292333.78
पूंजी	Capital	46850.00	169000.00	215850.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be a		the following Major He	ads:
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अन्दान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
्. मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments		158999.99	(खb) 158999.99
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	158999.99	159000.00

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) में से राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4436.80 करोड़) जारी करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एसडीएमएफ के लिए नया लेखाशीर्ष खोलने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी (₹ 158999.99 करोड़) के एवज में राज्यों को बैक टू बैक ऋण के अंतर्गत विशेष विंडों के तहत ऋण जारी करने के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए। चूंकि बैक टू बैक ऋण की पूर्ति समतुल्य पूंजी प्राप्तियों से की जानी है, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

cash outgo.

opening of new Head of Account for State Disaster Mitigation Fund (SDMF) in accordance with Fifteenth Finance Commission recommendations to release Grants-in-aid General (₹ 4436.80 crore) to State Governments from SDMF.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing loans to State Governments through issue of debt under special window under Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall (₹ 158999.99 crore). As the Back to Back Loan are to be met from equivalent capital receipts, the above expenditure will not entail any additional

मांग संख्या DEMAND NO 42

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 3555.59 3555.59 Revenue पूंजी Capital 44.39 44 39 जोड Total 3599.98 3599.98 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.03 0.03 पूंजी Capital जोड Total 0.03 0.03 जोड़ (मूल और प्रक) Total (Original plus Supplementary) 3600.01 3600.01 राजस्व Revenue 3555.62 3555.62 पूंजी Capital 44.39 44.39 II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत भारित जॊड Charged Total Voted राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2403-पश् पालन 2403-Animal Husbandry 0.01 0.01 2404-डेयरी विकास 2404-Dairy Development 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 0.01 (गc) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03

(क)
 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
 (ख)
 जापान इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी समितियों से राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत डेयरी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 56.10 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (₹ 12.45 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) (₹ 6.45 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
 (ग)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक फूक अनुदान मांगा जाता है।

सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी)

(₹ 2 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) (₹ 1 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

 (a) Grants-in-Aid General (₹ 31 crore) under the scheme Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grant-in-Aid-General under General components (₹ 56.10 crore), Scheduled Caste Sub Plan(SCSP) (₹ 12.45 crore) and Tribal Area Sub Plan (TASP)(₹ 6.45 crore) for Dairying through Cooperatives assisted by Japan Investment Corporation Agency(JICA) under the scheme Rashtriya Pashudhan Vikas Yojana.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants-in-Aid General under General components (₹ 4 crore), Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 2 crore) and Tribal Area Sub Plan(TASP) (₹ 1 crore) under the scheme National Livestock Mission.

मांग संख्या DEMAND NO 43

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र कर		RIS) (III R CIOLES)	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		1308.66	1308.66		
पूंजी	Capital	***	***			
जोड़	Total		1308.66	1308.66		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1308.67	1308.67		
राजस्व	Revenue		1308.67	1308.67		
पूंजी	Capital	•••				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Head	d:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	•••	0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के लिए कार्यालय व्यय (₹ 0.50 करोड़); अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 9 करोड़) I
- (II) "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से परिवहन के लिए लाभार्थियों को परिवहन सब्सिडी के लिए भारतीय रेलवे को सब्सिडी (₹ 52 करोड़) ।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- Office Expenses (₹ 0.50 crore), Other Administrative Expenses (₹ 0.50 crore) and Professional Services (₹ 9 crore) for Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLIS).
- (II) Subsidies (₹ 52 crore) to Indian Railways towards transport subsidies to beneficiaries for transportation through Kisan Rail under scheme "Operation Greens".
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 44

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करॉड़	र) (In ₹ crores) जॊड़ Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		114771.54		114771.54
पूंजी	Capital		4355.61		4355.61
जोड़	Total		119127.15		119127.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue		15917.89		15917.89
पूंजी	Capital		545.66		545.66
जोड़	Total		16463.55		16463.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		135590.70		135590.70
राजस्व	Revenue		130689.43		130689.43
पूंजी	Capital		4901.27		4901.27
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	T:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		3650.37	(कa)	3650.37
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		60.36	(गc)	60.36
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		10727.50	(घd)	10727.50
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		1479.65	(ਝe)	1479.65
अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		15917.89		15917.89
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		545.66	(चf)	545.66
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		16463.55		16463.55

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क)

(I) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायताः 1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 1.78 करोड़) तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) (भारत) की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 0.80 करोड़) 2. राष्ट्रीय कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-॥ (जीबीएस)- टेलिमेडिसिन (₹ 76.90 करोड़), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 65 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 20 करोड़), चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 10 करोड़), जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा एवं अन् संधान संस्थान, प्द्चेरी (₹ 12.67 करोड़) 3. लाला राम स्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 6.31 करोड़) स्वच्छता कार्रवाई योजना (₹ 0.81 करोड़) सहित 4. परास्नातक चिकितसा शिक्षा एवं अन संधान संस्थान. चंडीगढ़ (₹ 41.18 करोड़) (॥) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अन्दान 1. परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनु संधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 380 करोड़) 2. लाला राम स्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2 करोड) 3. जवाहर लाल परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनु संधान संस्थान, पुद्चेरी (₹ 50 करोड़) (III) निम्नलिखित संस्थाओं को अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए वेतन सहायता अनुदान 1. कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-॥ (जीबीएस) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 135 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 10 करोड़), परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 5 करोड़), जवाहर लाल परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अन् संधान संस्थान, पूद्चेरी (₹ 6.33 करोड़)। 2. लाला राम स्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 13.50 करोड़) (IV) अतिरिक्त

The supplementary Grants are required for:

(I) Grants in aid General in 1.National Rural Health Mission -India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package (EAP) (₹ 1.78 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) and National Centre for Disease Control (NCDC) (₹ 0.80 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) . 2. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS) - Telemedicine (₹ 76.90 crore), Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 65 crore), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 20 crore), Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 10 crore), Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research Puducherry (₹ 12.67 crore). 3. Lala Ram Swarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 6.31 crore) inclusive of Swachhta Action Plan (₹ 0.81 crore) 4. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 41.18 crore) (II) Grants for creation of Capital Assets in 1 Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 380 crore) 2.Lala Ram Swarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 2 crore) 3.Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (₹ 50 crore). (III) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions: - 1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness

आवश्यकता को पूरा करने हेत् 1. भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज ।-॥ (जीबीएस)/(ईएपी) राष्ट्रीय ग्रामीण बिना विधाानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (₹ 123.25 म्ताम्थ्य मिशन∙-करोड), आपूर्ति एवं सामग्री की अधिप्राप्ति (जीबीएस) (₹ 1881.40 करोड) और (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 118.78 करोड़), केंद्रीय अस्पताल (₹ 331.44 करोड़): (i) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 47.20 करोड़) - वेतन (₹ 7.10 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 12.30 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 2.10 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 25.70 करोड़). іі डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 63.89 करोड़) - कार्यालय व्यय (₹ 12.89 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 17 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 34 करोड़). iii. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 44.20 करोड़)- वेतन (₹ 12.91 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 8 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 12 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 11.29 करोड़) iv. हवाई अड्डा संगठनों सहित बंदरगाह स्वास्थ्य संस्थान- अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की निगरानी (₹ 26.50 करोड़) - आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 23.56 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 2.90 करोड़). v. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं अनुक्रिया (₹ 145.75 करोड) - आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 136.25 करोड़), वयावसायिक सेवाएं (₹ 9.50 करोड़) vi. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) (₹ 3.90 करोड़) - कार्यालय व्यय (₹ 3 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.90 करोड़), एवं (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 116.70 करोड़) - कार्यालय व्यय (₹ 21.95 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 75 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 19.75 करोड़) 2. कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा (अन्य प्रभार) (₹ 713.61 करोड़ जिसमें से भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 221.20 करोड़) 3. हवाई अड्डा संगठनों सहित बंदरगाह स्वास्थ्य संस्थान- थर्मल स्कैनर्स का प्रापण (ईएपी)- आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 21.71 करोड़)।

₹ 4143.36 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (फेज-1 एवं फेज II) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) कोविड -19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ₹ 3650.37 करोड़ की पूरक राशि अनुदान तथा शेष (₹ 492.99 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरी की जाएगी।

(ख) (i) जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों में प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 10 करोड़)।

(ग)

अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्तिं हेतु सामान्य सहायता अनुदान 1. भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज ।।- केंद्रीय अस्पताल (₹ 23.21 करोड): (i) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 15.61 करोड) (ii) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 15.61 करोड) (iii) क्षेत्रीय संस्थान एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रियाएवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज ।। के सूजन के लिए अनुदान (₹ 9.89 करोड)। (III) भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 8 करोड) (ii) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल (₹ 19.26 करोड)।

package Phase-II (GBS) - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 135 crore), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 10 crore), Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 5 crore), Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (₹ 6.33 crore) 2.Lala Ram Swarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 13.50 crore) (IV) For meeting additional requirement on 1.India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-I & II (GBS)/(EAP) - National Rural Health Mission - UTs without Legislature (₹ 123.25 crore), Procurement of Supplies & Materials (GBS) (₹ 1881.40 crore) & (EAP) (₹ 118.78 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India), Central Hospitals (₹ 331.44 crore): (i) Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 47.20 crore) - Salary (₹ 7.10 crore), Professional Services (12.30 crore), Office Expenses (₹ 2.10 crore), Supplies & Materials (₹ 25.70 crore). ii. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹ 63.89 crore) - Office Expenses (₹ 12.89 crore), Supplies & Materials (₹ 17 crore), Professional Services (₹ 34 crore). iii. Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi. (₹ 44.20 crore)-Salary (₹ 12.91 crore), Office Expenses (₹ 8 crore), Supplies & Materials (₹ 12 crore), Professional Services (₹ 11.29 crore) iv. Port Health Establishment including Airport Organizations -Surveillance at International Airports (₹ 26.50 crore) - Supplies & Materials (₹ 23.56 crore), Professional Services (₹ 2.90 crore), v. Health Sector Disaster Preparedness and Response (₹ 145.75 Crore) - Supplies & Materials (₹ 136.25 crore), Professional Services (₹ 9.50 crore) vi. National Centre for Disease Control (NCDC) (₹ 3.90 crore) - Office Expenses (₹ 3 crore), Professional Services (₹ 0.90 crore) & (EAP) (₹ 116.70 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) - Office Expenses (₹ 21.95 crore), Supplies & Material (₹ 75 crore), Professional Services (₹ 19.75 crore) 2. Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance for Health Workers Fighting COVID -19 (Other Charges (₹ 713.61Crore, out of which ₹ 221.20 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) 3. Port Health Establishment including Airport Organizations - Procurement of Thermal Scanners (EAP) -Supplies & Materials (₹ 21.71 crore)

Against additional requirement of ₹ 4143.36 crore, Cash Supplementary Grant of ₹ 3650.37 crore on account of India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Packages (Phase-I & Phase-II) and Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance for Health Workers Fighting COVID -19 and rest (₹ 492.99 crore) will be met from the savings available in the same Section of the Grant.

For meeting additional requirement under Grants for creation of Capital Assets in Population Research Centres (₹ 10 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(I) Grants in aid General for meeting additional requirement under 1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II - Central Hospitals (₹ 23.21 crore): (i) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 15.61 crore), (ii) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 7.60 crore). (II) Grants for creation of Capital Assets under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II for North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 9.89 crore). (III) Grants in aid Salaries under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II for (i) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 8 crore) (ii) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 19.26 crore)

(e)

इसमें ₹ 60.36 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज ।। (जीबीएस) (₹ 10727.50 करोइ) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

इसमें ₹ 10727.50 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज ।। (जीबीएस) (₹ 1479.65 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

इसमें ₹ 1479.65 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(च) भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी)/(जीबीएस) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए पूरक अनुदान की आवश्यकता हेतु (i) आपूर्ति एवं सामग्री, मशीन एवं उपकरण (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 481.16 करोड़)। (ii) स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं अनुक्रिया (जीबीएस) (मशीन एवं उपकरण) (₹ 30.50 करोड़), (iii) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (जीबीएस) (मशीन एवं उपकरण) (₹ 25 करोड़) एवं (ईएपी) मशीन एवं उपकरण (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 9 करोड़)।

इसमें ₹ 545.66 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 60.36 crore

Grants-in-aid General for meeting additional requirement under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS) (₹ 10727.50 crore)

The above expenditure will entail a net cash outgo. of ₹ 10727.50 crore.

Grants-in-aid General- for meeting additional requirement under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS) (₹ 1479.65 crore)

The above expenditure will entail a net cash outgo. of ₹ 1479.65 crore.

For meeting the additional expenditure under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (EAP)/(GBS) for (i) Supplies & Materials, Machinery & Equipment (EAP) (₹ 481.16 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India), (ii)Health Sector Disaster Preparedness and Response (GBS) (Machinery and Equipment) (₹ 30.50 crore), (iii) National Centre for Disease Control (GBS) (Machinery and Equipment) (₹ 25 crore) & (EAP)Machinery and Equipment (₹ 9 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India).

The above expenditure will entail a net cash outgo of \ref{total} 545.66 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 45

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(t 97 t l	5) (III (CIOI es)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2663.00	2663.00
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total		2663.00	2663.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i:		
राजस्व	Revenue		526.28	526.28
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	526.28	526.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3189.28	3189.28
राजस्व	Revenue	•••	3189.28	3189.28
प्ंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		526.28	526.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनु संधान परिषद (आईसीएमआर) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, जिसमें ईएपी के तहत आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 423.41 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 102.87 करोड़) शामिल है। ₹ 526.28 करोड़ की इस राशि की प्रतिपूर्ति भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम के एवज में की जानी है।

इसमें ₹ 526.28 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

For meeting the additional expenditure of Indian Council of Medical Research (ICMR) comprising Grant in Aid General (₹ 423.41 crore) & Grant for Creation of Capital Assets for Emergency Epidemic Preparedness and Response under EAP (₹ 102.87 crore). This amount of ₹ 526.28 crore is to be recouped against the advance drawn from the Contingency Fund of India.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 526.28 crore

मांग संख्या DEMAND NO 46

भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यंपण को ध्यान में रखते हु ए,

इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

					((₹ करोड़)) (In ₹ cror
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
मूल अनुद	ान:	I. ORIGINAL GRANT:					
जस्व		Revenue		•	927.85		927.85
जी		Capital			67.42		67.42
ोड़		Total		•••	995.27		995.27
स समय आव	१यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now req	juired:			
जस्व		Revenue		•••	0.01		0.01
जी		Capital			110.05		110.05
ोड़		Total		***	110.06		110.06
ोड़ (मूल और	प्रक)	Total (Original plus Supplementary))	•••	1105.33		1105.33
जस् व		Revenue		•••	927.86		927.86
जी		Capital			177.47		177.47
			क्तिन साला शीह		177.47		177.47
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नर्ली			lood		
		II. This Supplementary Grants will b	e accounted	मारित under the following Major F	_{स्वीकृत}		जॊड
					Voted		Total
		DEVENUE GEGTION		Charged	Voled		IUlai
जस्व भाग		REVENUE SECTION					
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
852-उद्योग • •		2852-Industries		***	0.01	(कa)	0.01
्जी भाग		CAPITAL SECTION					
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4860-Capital Outlay on Consumer I	ndustries		78.41	(खb)	78.41
	त्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Indust	ries		0.01	(गc)	0.01
	ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industrie	es		31.63	(घd)	31.63
ोड़ (प्ंजी भाग	τ)	Total (Capital Section)			110.05		110.05
ोड़ (प्रक)		Total (Supplementary)			110.06		110.06
द्रपरक भन्न	राने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:		The sunni	lementary Grants are required f	or:		
र ४ । जानुर ह्य	3	ए सीएफआई अग्रिम राशि की संस्वीकृति की	(a)	Meeting expenditure towa		Aid Gen	neral (₹ 168 :
,		निक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के	(4)	crore) under the scheme			•
		ान (₹ 168.22 करोड़) हेत् व्यय को पूरा करने		Enterprises' for recopum			
	के लिए।	(advance sanction for closu			
	भन टान के दमी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa		e in the s	ame section
	अन्दान मांगा जाता है।	Take in Take of Cake & Commerce &		the Grant, a token suppler	-		
ত্র)	.	मों की सहायता' योजना के अंतर्गत निवेश	(b)	Meeting expenditure towa	-	-	l1 crore) und
۵)	(₹ 78.41 करोड़) हेतु व्यय को प्		(6)	the scheme 'Support to Ce		,	•
		हुध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए,		Taking into account the s			-
	इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय	9 1		Revenue Section of the C		•	
	***************************************			entail any additional cash		oro oxpoi	indicare will in
Π)	ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उट्यो	ा विकास परिषद योजना के अंतर्गत ऋण एवं	(c)	Meeting expenditure tow	-	nd Adva	nces (₹ 67 °
'',	अग्रिम (₹ 67.22 करोड़) हेतु व्य		(0)	crore) under the scheme			•
	311 / (1.22 4/(1)) ftg 04	a to the area a term		and Allied Industries'.	Development	Council	ioi Autoiilob
	भन्न टान के दमी भाग में सारहरी	बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	vinge availabl	e in the c	ame section
	अनुदान मांगा जाता है।	ययता या ज्यान न रखत हु द तायातक पूरक					anic sculon
	· .			the Grant, a token suppler	-	-	(T 0.1
ਹ)	'केंटीस मार्वजनिक क्षेत्र के उटस	मों की सहायता' योजना के अंतर्गतऋण एवं	(d)	Meeting expenditure toward	arde Inane a	und Adva	ncac (7 21)

Enterprises'.

entail any additional cash outgo;

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

मांग संख्या DEMAND NO 50

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

मूल अनुदान राजस्व पूंजी जोड़ इस समय आवश्य राजस्व पूंजी जोड़ (मूल और पू राजस्व पूंजी	यक रकम का पूरक अनुमान:	I. ORIGINAL GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the a required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementa Revenue Capital II. इस पूक अनुदानका हिसाब निम्ल	ary) নিखিत मुख्य शीष				95432.07 9730.04 105162.11 0.02 0.01 0.03 105162.14 95432.09 9730.05
राजस्व पूंजी जोड़ इस समय आवश्य राजस्व पूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पू राजस्व	यक रकम का पूरक अनुमान:	Capital Total Supplementary Estimate of the a required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementa Revenue Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	ary) নিखিत मुख्य शीष	<i>8.32</i> 1 6.34 16.34 8.02 8.32 गों के अंतर्गत दिखाया जायेगा	9721.72 105145.77 0.02 0.01 0.03 105145.80 95424.07 9721.73		9730.04 105162.11 0.02 0.01 0.03 105162.14 95432.09
जोड़ इस समय आवश्य राजस्व पूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पू राजस्व		Total Supplementary Estimate of the a required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementa Revenue Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	ary) নিखিत मुख्य शीष	 16.34 8.02 8.32 ग्रों के अंतर्गत दिखाया जायेगा	0.02 0.01 0.03 105145.80 95424.07 9721.73		0.02 0.01 0.03 105162.14 95432.09
जोड़ इस समय आवश्य राजस्व पूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पू राजस्व		Total Supplementary Estimate of the a required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementa Revenue Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	ary) নিखিत मुख्य शीष	 16.34 8.02 8.32 र्गों के अंतर्गत दिखाया जायेगा	0.02 0.01 0.03 105145.80 95424.07 9721.73		0.02 0.01 0.03 105162.14 95432.09
राजस्व पूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पू राजस्व		required: Revenue Capital Total Total (Original plus Supplement Revenue Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	ary) নিखিत मुख्य शीष	 16.34 8.02 8.32 ग्रॅं के अंतर्गत दिखाया जायेगा	0.01 0.03 105145.80 95424.07 9721.73		0.01 0.03 105162.14 95432.09
पूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पू राजस्व पूंजी	हरक)	Capital Total Total (Original plus Supplement Revenue Capital ॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	लिखित मुख्य शीष	 16.34 8.02 8.32 ग्रॅं के अंतर्गत दिखाया जायेगा	0.01 0.03 105145.80 95424.07 9721.73		0.01 0.03 105162.14 95432.09
जोड़ जोड़ (मूल और पू राजस्व पूंजी	ह्रक)	Total Total (Original plus Supplement Revenue Capital ॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	लिखित मुख्य शीष	 16.34 8.02 8.32 ग्रों के अंतर्गत दिखाया जायेगा	0.03 105145.80 95424.07 9721.73		0.03 105162.14 95432.09
जोड़ (मूल और पू राजस्व पूंजी	ह्रक)	Total (Original plus Supplementa Revenue Capital ॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	लिखित मुख्य शीष	16.34 8.02 8.32 मैं के अंतर्गत दिखाया जायेगा	105145.80 95424.07 9721.73		105162.14 95432.09
राजस्व प् ं जी	ह्रक)	Total (Original plus Supplementa Revenue Capital ॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्ल	लिखित मुख्य शीष	8.02 8.32 र्गे के अंतर्गत दिखाया जायेगा	105145.80 95424.07 9721.73		105162.14 95432.09
राजस्व प् ं जी		Revenue Capital ॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्न	लिखित मुख्य शीष	8.02 8.32 र्गे के अंतर्गत दिखाया जायेगा	95424.07 9721.73		95432.09
प्ंजी		Capital II. इस प्रूक अनुदान का हिसाब निम्न	-	8.32 र्गें के अंतर्गत दिखाया जायेगा	9721.73		
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्न	-	र्भों के अंतर्गत दिखाया जायेगा	:		37 30.03
राजस्व भाग			-				
राजस्व भाग		II. This Supplementary Grants w	ili de accounted	tor under the following is			
राजस्व भाग				भारित			जॊड
राजस्व भाग				**	स्वीकृत		•
राजस्व भाग				Charged	Voted		Total
मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2055-पुलिस		2055-Police			0.01	(कa)	0.01
3602-संघ राज्य	। क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Ter	ritory Governme	ents	0.01	(खb)	0.01
अनुदान							
जोड़ (राजस्व भा	ग)	Total (Revenue Section)		•••	0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
 म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3 4055-पुलिस पर	. पंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	0.03	(-/	0.03
	10 00 1 10 4		<u> </u>				
	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: - पंजीपन अफिन्मों के सम्बन्ध के पि	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		entary Grants are require		(D.4.D.D)	
(क)	कार्यक्रम (बीएडीपी) (₹ 16.00 करोड़)		(a)	Border Area Developme Creation of Capital Asse	_		under Grants for
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत	तों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availab	ole in the	same section of
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supp	lementary is so	ught.	
(ख)	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लि	ए अनुदानों के तहत सीमा क्षेत्र विकास	(b)	Border Area Developme	ent Programme	(BADP) ι	under Grants for
	कार्यक्रम (बीएडीपी) (₹ 0.01 करोड़)।			Creation of Capital Asse	ets (₹ 0.01 Cror	e).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत अनुदान मांगा जाता है।	तों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the the Grant, a token supp	-		same section of
(ग)	(i) प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्ग	iत भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य	(c)	(i) Indo-Myanmar Borde	er Works unde	er Major	Works (₹ 25.00
		उपकरण (सामान्य) के अंतर्गत असम	: *	Crore) (ii) Assam Rifles		•	•
		टर वाहन के तहत (सामान्य) (₹ 8.20		(₹ 16.34 Crore) and Mo		•	, ,
	• •	तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availab	ole in the	same section of
	अन्दान मांगा जाता है।			the Grant, a token supp	•		

मांग संख्या DEMAND NO 54

लद्दाख LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

जॊड़

भारित

Publicity' under various heads (₹ 0.02 crore).

स्वीकृत

					मारत	⊬वाकृत		সাহ
					Charged	Voted		Total
।. मूल अ	न टानः	I. ORIGINAL GRANT:			J			
राजस्व	341-11	Revenue				2331.64		2331.64
पूंजी					•••	3626.36		
		Capital						3626.36
जोड़		Total				5958.00		5958.00
	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	e amount no	w required:				
राजस्व		Revenue				0.11		0.11
पूंजी		Capital				***		
जोड़		Total				0.11		0.11
जोड़ (मूल :	और पूरक)	Total (Original plus Suppleme	ntary)			5958.11		5958.11
राजस्व		Revenue				2331.75		2331.75
पूंजी		Capital				3626.36		3626.36
^		•		م ملت کے خصورہ سے		0020.00		0020.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निव	-					
		II. This Supplementary Grants	will be acco	unted for under the				
					भारित	स्वीकृत		जोड़
					Charged	Voted		Total
राजस्व भ	<i>ग</i> ग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2015-चुना	व	2015-Elections				0.01	(कa)	0.01
	गन्य शिक्षा	2202-General Education				0.01	(खb)	0.01
2203-तक	नीकी शिक्षा	2203-Technical Education				0.01	(गc)	0.01
	केत्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Heal	th			0.01	(id)	0.01
	पूर्ति और स्वच्छता				•••	0.01		0.01
	•	2215-Water Supply and Sanita					(ਤ e)	
	ना और प्रचार	2220-Information and Publicity				0.01	(चf) (च्र-)	0.01
	सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Ca		luled Tribes,	•••	0.01	(<u>छ</u> g)	0.01
	और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and I						
	, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and	d Skill Devel	opment		0.01	(जh)	0.01
	गजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welf	are			0.01	(झi)	0.01
2245-प्राकृ	तिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Nati	ural Calamiti	ies		0.01	(टj)	0.01
2501-ग्रार्म	गिण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for	Rural Deve	elopment		0.01	(ठk)	0.01
जोड़ (राजर	न्व भाग)	Total (Revenue Section)				0.11		0.11
यह पूरक 3	मनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supp	lementary Grants a	re required for	:		
(क)		तु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने	(a)	meeting the	additional requ	uirement tow	ards 'Ele	ections' under
. ,	के लिए (₹ 0.10 करोड़)।		. ,	_	s (₹ 0.10 crore)			
		ों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक			count the savi		in the sa	me section of
	अन्दानमांगा जाता है।			=	oken suppleme	-		
(Tat)	9	क्षा' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा	(b)					ral Education!
(ख)		वा हतु जातारपत जापरपकता का पूरा	(b)	-	dditional requi		us Gene	iai Euucation
	करने के लिए (₹ 0.08 करोड़)।				heads (₹ 0.08			
		ों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		_	count the savi	-		ime section of
	अनुदान मांगा जाता है।				oken suppleme			
(ग)	विभिन्न शीषों के अतगेत 'तकनीकी शि	क्षा' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा	(c)	meeting the	additional	requirement	toward	s 'Technical
	करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)।			Education' un	der various he	ads (₹ 0.06 ci	ore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतं	ों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into ac	count the savi	ngs available	in the sa	me section of
	अनुदानमांगा जाता है।			the Grant, a to	oken suppleme	entary is soug	ht.	
(ঘ)	"आयष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन	आरोग्य योजना (एबी-पीएमवाईएवाई)"	(d)	meeting the	additional exp	enditure on	account	of COVID-19
` '	3	में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को चलाने के	(-)	=	e); for running o			
		तिरिक्त व्यय को पूरा करने (₹ 73.52			6.90 crore) a			
	करोड़)।	(* 10.02			irogya Yogna (
		· · · · · · · · · · · · · · · · ·			• • •		•	•
		ों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक			count the savi	-		ine section of
	अनुदानमागा जाता है।	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			oken suppleme			
(량)		को पूरा करने के लिए 'जलापूर्ति और	(e)	meeting the a	additional requi	rement towar	ds 'Wate	er Supply and
	स्वच्छता' के अतिरिक्त आवश्यकता	को पूरा करने के लिए (₹ 2.00 करोड़ -		Sanitation' to	meet the ex	penditure on	accoun	t of hiring of
	अन्य प्रभार)।			tankers (₹ 2.0	0 crore - Other	r Charges).		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचते	ों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into ac	count the savi	ngs available	in the sa	me section of
	अनुदान मांगा जाता है।	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			oken suppleme			
(핍)	•	प्रचार' की अतिरिक्त आवश्यकता को	(f)		additional requ			ormation and
` '	THE THE STATE OF	2 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	` '	-				

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
	जनुदान मांगा जाता है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(ন্ড)	उ विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'अ.ज.जा., अ.जा., अ.प.वर्ग और अल्पसंख्यकों' की	(g)	meeting the additional requirement towards 'Welfare of SCs,
	अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.11 करोड़)।		STs, OBCs and Minorities' under various heads (₹ 0.11 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
	अनुदानमांगा जाता है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास' हेतु अतिरिक्त	(h)	meeting the additional requirement towards 'Labour,
	आवश्यकता को पूरा करने के लिए (सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹		Employment and Skill Development under various heads
	1.50 करोड़)।		(₹ 1.50 crore under Grants-in-aid General).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
	अनुदान मांगा जाता है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(朝)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' हेतु अतिरिक्त	(i)	meeting the additional requirement towards 'Social Security and
	आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.66 करोड़)।		Welfare' under various heads (₹ 0.66 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
	अनुदान मांगा जाता है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र को आपदा अनुक्रिया निधि के लिए 'प्राकृतिक	(j)	meeting the additional requirement towards 'Relief on account
	आपदा के कारण राहत' हेत् अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए		of Natural Calamities' for Disaster Response Fund for the UT of
	(₹ 5.00 करोड़)।		Ladakh (₹ 5.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

पीओएल के अंतर्गत 'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' हेतु अतिरिक्त

आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)।

अन्दान मांगा जाता है।

(ठ)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement towards 'Special Programmes for Rural Development' under P.O.L. (₹ 1.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 55

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(\ 4)\.	5 / (III \ CI OI C S)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		1238.21	1238.21		
पूंजी	Capital		229.10	229.10		
जोड़	Total		1467.31	1467.31		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1467.32	1467.32		
राजस्व	Revenue		1238.22	1238.22		
प्ंजी	Capital		229.10	229.10		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पंचायत निदेशालयं के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करने की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 4.75 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement for releasing Grants-in-aid General towards implementation of Solid Waste Management Programme under Directorate of Panchayat (₹ 4.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 59

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़	「) (In	₹ cr	ores,
----------	--------	------	-------

				(ii (Ciores)
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	106.85	36885.14	36	6991.99
पूंजी	Capital	35.07	25723.95	25	5759.02
जोड़	Total	141.92	62609.09	62	2751.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue	***			•••
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total	***	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	141.92	62609.11	62	2751.03
राजस्व	Revenue	106.85	36885.14	36	6991.99
प्ंजी	Capital	35.07	25723.97	25	5759.04
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	h अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	r under the following Majo	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(कa)	0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 460 करोड़) (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत नई संसद संबंधी कार्यों की जारी परियोजना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) परियोजनाओं, मिन्टो रोड पर लेखन सामग्री तथा मुद्रण भवन के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 100 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(i) additional expenditure towards Major Works for construction of various projects under General Pool Office Accommodation (GPOA) (₹ 460 Crore) and (ii) additional expenditure for ongoing project of New Parliament works, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC)/Central Board of Direct Taxes (CBDT) projects, Stationery & Printing Building at Minto Road under Major Works(₹ 50.00 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

additional expenditure towards Major Works for various projects under General Pool Residential Accommodation (GPRA) (₹ 100 Crore)

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\ 1/1)	\$ / (III \ CIOICS)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		8756.92	8756.92
पूंजी	Capital		344.77	344.77
जोड़	Total		9101.69	9101.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		50.00	50.00
पूंजी	Capital		•••	***
जोड़	Total		50.00	50.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	···	9151.69	9151.69
राजस्व	Revenue		8806.92	8806.92
प्ंजी	Capital		344.77	344.77
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d :	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	•••	50.00	50.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए 'नदी बेसिन प्रबंधन' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 13.12 करोड़) ।
- (ii) ईएपी घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोइ) और पूंजीगत आस्तियों के सजन हेत् अनुदान (₹ 25 करोइ) ।
- (iii) कार्यक्रम घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के स्ज़न हेतु अनुदान (₹ 25 करोड़) । अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- Grants-in aid Salaries under the scheme 'River Basin Management' for National Water Development Agency (NWDA) (₹ 13.12 crore).
- (ii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for EAP Component.
- (iii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for Program Component.
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 64

विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(t 97 t).	5)(III (CI OI es)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		1745.82	1745.82		
पूंजी	Capital		1100.00	1100.00		
जोड़	Total		2845.82	2845.82		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :				
राजस्व	Revenue		23.25	23.25		
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		23.25	23.25		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2869.07	2869.07		
राजस्व	Revenue		1769.07	1769.07		
प्ंजी	Capital	•••	1100.00	1100.00		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		23.25	23.25		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अकादमिक एवं प्रचालनात्मक व्यय (₹ 18.25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Grants-in-Aid General for academic and operational expenditure (\mathfrak{T} 18.25 crore) and Grants for creation of capital assets (\mathfrak{T} 5 crore) of National Judicial Academy.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

				(t 4 t 1 5) (In R crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	15329.65		15329.65
पूंजी	Capital		370.00		370.00
जोड़	Total	•••	15699.65		15699.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital	***	***		•••
जोड़	Total	***	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	15699.67		15699.67
राजस्व	Revenue		15329.67		15329.67
प्ंजी	Capital	•••	370.00		370.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	er the following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(क a)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)
(i) 'प्रधानमंत्री रोजगार स्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सिंद्सिडियों (₹ 50.00 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना, (ii) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्स्जन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 25.00 करोड़) और (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार स्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सिस्सिडियों (₹ 450.00 करोइ) के लिए व्यय को पूरा करना, (ii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोइ) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोइ) (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोइ) और (iv) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 222.50 करोइ) का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)', (ii) Meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)' and (iii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 1.50 crore) under the scheme 'ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 450.00 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), (ii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 3.00 crore) and Grants in Aid Salary (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building', (iii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 8.00 crore) under the scheme 'ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship' and (iv) Meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 222.50 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional industries (SFURTI).

मांग संख्या DEMAND NO 69

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4657.75	4657.75
पूंजी	Capital		153.02	153.02
जोड़	Total		4810.77	4810.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	4810.78	4810.78
राजस्व	Revenue		4657.76	4657.76
प्ंजी	Capital		153.02	153.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the fo	llowing Major H	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुदान प्राप्तकर्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(I) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 3.50 crore) for National Commission for Minorities for providing Grantee status. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1	र कराड़) (IN र crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	30.28	1829.93	1860.21
पूंजी	Capital	11.65	186.71	198.36
जोड़	Total	41.93	2016.64	2058.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41.93	2016.66	2058.59
राजस्व	Revenue	30.28	1829.95	1860.23
प्ंजी	Capital	11.65	186.71	198.36
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major H	lead	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	(कa) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

(a)

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान के नवीनीकरण के लिए खर्च को पूरा करने हेत् (₹ 11.04 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) स्वच्छता कार्यवाई योजना (₹ 1.00 करोइ) और (ii) सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 9.00 करोइ) के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)-एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आई जीओटी 2.0) हेतु खर्च को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards renovation of office space at Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi under Minor Works (₹ 11.04 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure of National Programme for Civil Services and Capacity Building (NPCSCB)- Integrated Government Online Training Programme 2.0 (IGOT 2.0) under (i) Swachhta Action Plan (₹ 1.00 Crore) and (ii) Information Technology (₹ 9.00 Crore).

मांग संख्या DEMAND NO 75

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(<i>₹ कर</i>	ぼ)(In そ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		15866.78	15866.78
पूंजी	Capital	***	427.00	427.00
जोड़	Total		16293.78	16293.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	l:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		16293.79	16293.79
राजस्व	Revenue		15866.79	15866.79
पूंजी	Capital	•••	427.00	427.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन स्कीम (पीएमयूवाई) में सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 1600 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing additional funds for Subsidies in the scheme for LPG connection to poor Households, (PMUY) (₹ 1600 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 77

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1 4/1/	5 / (III \ CI OI C3)			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		1859.35	1859.35			
पूंजी	Capital		353.00	353.00			
जोड़	Total	•••	2212.35	2212.35			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	od:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01			
पूंजी	Capital		***				
जोड़	Total	***	0.01	0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2212.36	2212.36			
राजस्व	Revenue		1859.36	1859.36			
पूंजी	Capital	•••	353.00	353.00			
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses		0.01	0.01			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास (एसएमपीके) द्वारा हु गली नदी और हल्दिया चैनल के तलकर्षण और रखरखाव हेतु सब्सिडी (₹ 101.62 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Subsidy for dredging and maintenance of River Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port Trust (SMPK) (₹ 101.62 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 84

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

		(\ 41815) (111 \			
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65	
पूंजी	Capital	92.08	304836.88	304928.96	
जोड़	Total	558.08	580823.53	581381.61	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		0.01	0.01	
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	558.08	580823.54	581381.62	
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65	
प्ंजी	Capital	92.08	304836.89	304928.97	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial		0.01	0.01	
परिव्यय	Lines				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- भारतीय रेलवे में पचास (50) स्थानों पर स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र के संस्थापन की लागत के लिए ₹ 107.50 करोड़ ;
- बाईस (22) रेलवे स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले फ्लोर पिट व्हील लेथ के (ii) तहत कंप्यूटर न्यू मेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) का लागत मूल्य ₹ 137.85 करोड़
- 36,407 मालडिब्बों में प्रत्येक पर ₹ 20,000 की दर से दोहरे पाइप ब्रेक (iii) प्रणाली के रिट्रोफिटमेंट के लिए ₹ 72.81 करोड़ की लागत को पूरा करने के लिए

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- ₹ 107.50 crore towards cost of installation of Automatic Coach Washing Plants at fifty (50) locations across Indian Railways;
- ₹ 137.85 crore being the cost of Computer Numerical Control (CNC) under floor pit wheel lathe to be installed at twenty two (22) railway locations; and
- meeting the cost of ₹ 72.81 crore for retrofitment of twin pipe brake system @ ₹ 20,000 each in 36,407 wagons.

मांग संख्या DEMAND NO 85

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(1) (111 \ C101 C3)				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		19668.06	19668.06			
पूंजी	Capital	10.00	207840.29	207850.29			
जोड़	Total	10.00	227508.35	227518.35			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	1 :					
राजस्व	Revenue						
पूंजी	Capital		0.01	0.01			
जोड़	Total		0.01	0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	227508.36	227518.36			
राजस्व	Revenue		19668.06	19668.06			
पूंजी	Capital	10.00	207840.30	207850.30			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	0.01			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रोप वे के विकास के लिए 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

additional expenditure under 'Major Works' for Development of Ropeways (₹ 100 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 86

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

				(₹ करोड़	.) (In ₹ crore		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_					
जस्व जस्व	Revenue		234019.08		234019.08		
(जी	Capital						
गेड़	Total		234019.08		234019.08		
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
जस् व	Revenue		0.02		0.02		
ुं जी	Capital		***				
ोड़	Total		0.02		0.02		
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		234019.10		234019.10		
ज स् व	Revenue		234019.10		234019.10		
् जी	Capital		•••				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेग	Π:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head						
		भारित	स्वीकृत		जॏड़		
		Charged	Voted		Total		
ा जस् व भाग	REVENUE SECTION						
ख़्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment		0.01	(कa)	0.01		
602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता नुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(खb)	0.01		
नोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02		

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

) निम्निलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान प्रदान करना: (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समृह के लिए 'उन्नित' परियोजना (₹ 0.06 करोड़) के लिए क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता हेतु नए लेखाशीर्ष खोलना। (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकाबार द्वीप समृह में लंबित निधि अंतरण आदेश को स्वीकृत करना (₹ 65 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर (विधानमंडल सिहत) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.35 करोड़) जारी करने हेतु उन्नित परियोजना के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए नए लेखाशीर्ष खोलना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

a) providing Grants for creation of Capital Assets for (i) opening of new Head of Account for "Capacity Building and Technical Support for project UNNATI (₹ 0.06 crore) to Andaman and Nicobar Island and (ii) to clear the pending Fund Transfer Orders in Union Territory of Ladakh and Union Territory of Andaman and Nicobar Island (₹ 65 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

opening of new Head of Account for "Capacity Building and Technical Support for project UNNATI to release Grants for creation of capital assets (₹ 1.35 crore) to Jammu & Kashmir (with legislature) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

मांग संख्या DEMAND NO 87

भूमि संसाधन विभाग DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(<i>t 9</i> 7 <i>t</i>):	5) (III (CIOI es)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2170.42	2170.42		
पूंजी	Capital	***				
जोड़	Total		2170.42	2170.42		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2170.43	2170.43		
राजस्व	Revenue		2170.43	2170.43		
प्ंजी	Capital			•••		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलसंभर विकास कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (बिना विधानमंडल) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) जारी करने के लिए पृथक बजट शीर्ष खोलना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

opening a separate Budget Head to release Grants-in-aid General (₹ 5 crore) to Union Territory of Ladakh (without Legislature) under the scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Programme.

मांग संख्या DEMAND NO 88

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(<i>₹ फर</i> 1.	ま)(In そ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5949.57	5949.59
पूंजी	Capital	***	122.00	122.00
जोड़	Total	0.02	6071.57	6071.59
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	l:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6071.58	6071.60
राजस्व	Revenue	0.02	5949.58	5949.60
प्ंजी	Capital		122.00	122.00
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के लिए 'अनुस्चित जाति उप योजना' के लिए (₹ 20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 10 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under Scheduled Castes Sub Plan (₹ 20 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 10 crore) for Innovation, Technology Development and Deployment.

मांग संख्या DEMAND NO 91

कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

को पूरा करने के लिए।

इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022) (₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 2711.53 2711.53 पूंजी Capital 73.70 73.70 जोड़ Total 2785.23 2785.23 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 10.01 10.01 जोड Total 10.02 10.02 जोड़ (मूल और पूरक) 2795.25 Total (Original plus Supplementary) 2795.25 Revenue 2711.54 2711.54 पूंजी Capital 83.71 83.71 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अन्दान 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments (कa) 0.01 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 0.01 0.01 (खb) 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 10.00 (गc) 10.00 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 10.01 10.01 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 10.02 10.02 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: 'कौशल विकास' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.08 करोड़) के Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 0.08 (क) (a) लिए व्यय को पूरा करने लिए। crore) under the scheme "Development of Skills". अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अन्दान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. (ख) 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 56 करोड़) के लिए व्यय Meeting expenditure towards Major Works (₹ 56.00 crore) को पूरा करने के लिए। under "Secretariat'. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अनुदान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 10 करोड़) के लिए व्यय (ग) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 10.00 crore)

under 'Secretariat'.

entail any additional cash outgo;

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

मांग संख्या DEMAND NO 92

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 474)		(III CIOLES)
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		10197.62		10197.62
पूंजी	Capital		370.00		370.00
जोड़	Total		10567.62		10567.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		10567.65		10567.65
राजस्व	Revenue		10197.65		10197.65
प्ंजी	Capital		370.00		370.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		ijor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled		0.01	(कa)	0.01
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(खb)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(गc)	0.01
अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइबंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड स्कीम (पीएम यंगस्वी) में ओबीसी के बालकों तथा बालिकाओं की छात्रावास के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 7 करोइ) (ii)ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइबंट इंडिया (पीएम यंगस्वी) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड स्कीम में उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹ 158.75 करोइ) और उत्कृष्ट श्रेणी कॉलेजों (₹ 288.65 करोइ) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (iii)ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइबंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड स्कीम (पीएम यंगस्वी) के अंतर्गत छात्रवृति/ वृत्तिका (1) अनुस्चित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति/ वृत्तिका (1) अनुस्चित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति (₹ 3413.12 करोइ) (2) अनुस्चित जाति और अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹ 725 करोइ) (3) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइबंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड स्कीम (पीएम यंशस्वी) के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹ 20 करोइ) और श्रेणी उत्कृष्ट कॉलेजों (₹ 50 करोइ) (iv) डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोइ))।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों और बालिकाओं को छात्रावास के तहत प्ंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान (₹ 12 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वीः) में ओबीसी के बालकों व बालिकाओं को छात्रावास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान (₹ 1 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) Grants for Creation of Capital Assets under Boys and Girls Hostel for OBCs under PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs (₹ 7 crore). (ii) Grants in aid General under Top Class Schools (₹ 158.75 crore) and Top Class Colleges (₹ 288.65 crore) in the Scheme PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India for OBCs, EBCs and DNTs. (iii) Scholarship/Stipend under (1) Post Matric Scholarship for SC Students (₹ 3413.12 crore) (2) Pre Matric Scholarship for SCs and Others (₹ 725 crore) (3) Top Class Schools (₹ 20 crore) and Top Class Colleges (₹ 50 crore) in the PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs. (iv) Grants in aid Salaries under Dr. Ambedkar International Centre (₹ 2.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for Creation of Capital Assets under Boys and Girls Hostel for OBCs in the Scheme PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for Vibrant India for OBCs EBCs and DNTs (₹ 12 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for Creation of Capital Assets under Boys and Girls Hostel for OBCs in the Scheme PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for Vibrant India for OBCs EBCs and DNTs (₹ 1 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 94

अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

प्रौद्योगिकी प्रतिदर्श अंतरिक्षयान के लिए अन्य पूंजीगत व्यय हेतु व्यय को पूरा

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

करने के लिए (₹ 50 करोड़)।

अनुदान मांगा जाता है।

(ख)

					(₹ करोड़) (In ₹ crore		
			भारित	स्वीकृत		ऒड़		
			Charged	Voted		Total		
।. मूल अनुद	रान:	I. ORIGINAL GRANT:						
ाजस्व -		Revenue	0.60	5719.86		5720.46		
<u>ग</u> ूंजी		Capital	0.40	8228.23		8228.63		
जोड़		Total	1.00	13948.09		13949.09		
स समय आव	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount nov	v required:					
ाजस्व		Revenue		0.01		0.01		
<u></u> (ंजी		Capital		0.01		0.01		
गोड़		Total	•••	0.02		0.02		
गोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13948.11		13949.11		
ाजस्व		Revenue	0.60	5719.87		5720.47		
ुं जी		Capital	0.40	8228.24		8228.64		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grants will be accou	inted for under the following Maj	jor Head				
			भारित	स्वीकृत		जॊड़		
			Charged	Voted		Total		
ाजस्व भाग	Τ	REVENUE SECTION						
गु ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
४४०२-अंतरिक्ष	त्त अनु संधान	3402-Space Research		0.01	(क a)	0.01		
रुंजी भाग		CAPITAL SECTION						
गुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
- 402-अंतरिक्ष	प्त अनु संधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		0.01	(खb)	0.01		
जोड़ (प्रक)		Total (Supplementary)		0.02		0.02		
 ग्ह पूरक अन्	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The	supplementary Grants are requi	red for:				
क) े		पट्टे पर देने के लिए सेवा प्रभार हेत् अन्य (a)	meeting expenditure	towards Other	Contractu	al Services fo		
	संविदात्मक सेवाओं का व्यय पूरा	करने के लिए (₹ 40 करोड़)।	Service Charges fo (₹ 40 crore).	or Leasing INS	AT/GSAT	Transponder		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	। बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक	Taking into account the	ne savings availa	ble in the	same section c		
अनुदान मांगा जाता है।		- "	the Grant, a token sup	oplementary is so	ought.			

meeting expenditure towards Other Capital Expenditure for

Taking into account the savings available in the same section of

Technology Demonstration Spacecraft (₹ 50 crore).

the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 95

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र करा.	\$) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1396.09	1396.09
पूंजी	Capital	***	13.04	13.04
जोड़	Total		1409.13	1409.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		1172.50	1172.50
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1172.50	1172.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2581.63	2581.63
राजस्व	Revenue		2568.59	2568.59
प्ंजी	Capital		13.04	13.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme		1172.50	1172.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2019-20 के लिए लंबित देनदारियों (₹ 1172.50 करोड़) को मंजूरी देने के लिए एमपीएलएडीएस के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under MPLADS for clearing pending liabilities (₹ 1172.50 crore) for 2019-20.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

			(₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3591.61		3591.61
पूंजी	Capital	***	40.03		40.03
जोड़	Total	•••	3631.64		3631.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		66.21		66.21
जोड़	Total		66.23		66.23
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		3697.87		3697.87
राजस्व	Revenue		3591.63		3591.63
प्ंजी	Capital	•••	106.24		106.24
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major H	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	***	0.01	(क a)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries		66.21	(गc)	66.21
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	66.23		66.23
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	entary Grants are required	for:		
(क) (i) 'अन्य हथकरघा योजना' स्की					
	ाम के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.00 (a) के लिए. (ii) 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम'	(i) Meeting expenditure t	owards Grant	in Aid S	alary (₹ 3.00

(b)

-10 10 10 51-341	- File - Hitti Git (Ag of Hait) (c.
(क)	(i) 'अन्य हथकरघा योजना' स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.00
	करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए, (ii) 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम'
	योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) के लिए व्यय पूरा
	करने के लिए और (iii) 'व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास कार्यक्रम-पावरलूम
	मेगा क्लस्टर' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) के
	लिए व्यय पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन
	के लिए अनुदान (₹ 35.00 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।

(ग)

'सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता' योजना के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों (₹ 66.21 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (i) Meeting expenditure towards Grant in Aid Salary (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Other Handloom Schemes', (ii) Meeting expenditure towards Grant in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Integrated Wool Development Programme' and (iii) Meeting expenditure towards Grant in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Comprehensive Powerloom Cluster Development Program - Powerloom Mega Cluster'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards Grant for Creation of Capital Assets (₹ 35.00 crore) under the Scheme 'National Technical Textiles Mission'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards Loans and Advances (₹ 66.21 crore) under the Scheme 'Support to PSU's.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 100

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(See page	121 of the Demands for	Grants of Central Government t	for the yea	r 2021-2022)					
						(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
				भारित	स्वीकृत		जॊड़		
				Charged	Voted		Total		
।. मूल अनुदा	ान:	I. ORIGINAL GRANT:		· ·					
राजस्व	-	Revenue			24930.00		24930.00		
पूंजी		Capital		***	5.00		5.00		
जोड		Total		•••	24935.00		24935.00		
इस समय आव	११यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now requi						
राजस्व	, 3	Revenue			0.02		0.02		
पूंजी		Capital							
जोड़		Total			0.02		0.02		
जोड़ (मूल और	प्रक)	Total (Original plus Supplementary) Revenue			24935.02		24935.02		
राजस्व	•				24930.02		24930.02		
पूंजी		Capital			5.00		5.00		
•		॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grants will be	•		Head				
				भारित	स्वीकृत		जॊड़		
				Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	•	REVENUE SECTION		•					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2235-सामाजि	कि सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare			0.01	(कa)	0.01		
2552-पूर्वोत्तर	3	2552-North Eastern Areas			0.01	(खb)	0.01		
जोड़ (राजस्व 8		Total (Revenue Section)			0.02		0.02		
यह पूरक अन्	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	mentary Grants are required	d for:				
(क)		भायोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य	(a)	Meeting expenditure towards Grant in aid General in respect of					
	सहायता अनुदान (₹ 1.26 करोड़	ा) के ट्यय को पूरा करने के लिए ।		National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (₹ 1.26 crore).					
	अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availa	ble in the	same section of		
	अनुदान मांगा जाता है।	,		the Grant, a token supple	-				
(ख)	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ३	आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य	(b)	Meeting expenditure tow	vards Grant in	aid Gene	ral in respect of		
	सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)) के व्यय को पूरा करने के लिए ।		National Commission for	or Protection of	of Child R	lights (NCPCR)		

(₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 101

युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		(₹ क		'कराड़)	हराड़) (In ₹ crore:	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2549.41		2549.41	
प ूंजी	Capital		46.73		46.73	
जोड़	Total	•••	2596.14		2596.14	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	43.72		43.72	
ग ूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़	Total	•••	43.73		43.73	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2639.87		2639.87	
राजस्व	Revenue	•••	2593.13		2593.13	
प्ंजी	Capital		46.74		46.74	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Maj	or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य श ीर्ष	MAJOR HEAD					
- 2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.72	(कa)	0.72	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		43.00	(खb)	43.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		43.72		43.72	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
उ 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(गc)	0.01	
परिव्यय	Culture			` ,		
					43.73	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: (i) युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 1.68 करोड़), (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अन्दान (1) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय (₹ 0.72 करोड़) एवं (2) खेलो इंडिया (₹ 100 करोड़) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों एवं अनुदान के पूंजी भाग में ₹ 0.72 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकदं व्यय नहीं होगा। पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (ख) हेतु अनुदान (₹ 187.78 करोड़)।

नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) युवा छात्रावास के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों एवं अन्दान के पूंजी भाग में ₹ 43

करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त

The supplementary Grants are required for:

- (i) Minor Work under the Youth Hostel Scheme (₹ 1.68 crore),
- (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Sports University in North East (₹ 0.72 crore) and (2) Khelo

India (₹ 100 crore) Taking into account savings available in the same section of the

grant and the surrender of savings of ₹ 0.72 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo:

Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sports University in North East (₹ 187.78 crore).

Taking into account savings available in the same section of the grant and the surrender of savings available of ₹ 43 crore in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(c) Minor Work under Youth Hostel (₹ 2 crore).

संसद को विवरण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग का परिशिष्ट

अनुबंध 'क' (₹ करोड़ में)

से			को			
	पूंजी भाग (स्वीकृत)			पूंजी भाग (स्वीकृत)		
शीर्ष	नामकरण	राशि	शीर्ष	नामकरण	राशि	
6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण		6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण		
04	चीनी		04	चीनी		
190	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों		190	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों		
	और अन्य उपक्रमों को ऋण			और अन्य उपक्रमों को ऋण		
06	खोई पर आधारित विद्युत् सह-		07	एन्हाइड्रस अल्कोहल के अथवा		
	उत्पादन परियोजनाओं के लिए			अल्कोहल से एथनोल के उत्पादन		
	चीनी फैक्ट्रियाँ			के लिए चीनी फैक्ट्रियाँ		
06.00.55	ऋण और अग्रिम	1.97	07.00.55	ऋण और अग्रिम	1.97	

कारण निम्नलिखित हैं : -

बचत: बचत, ऋण के संवितरण के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के कारण है।

आधिक्य: स्कीम के तहत अनुमान से अधिक प्राप्त प्रस्तावों के संवितरण के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है क्योंकि बजट

अनुमान 2020-21 की राशि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

ANNEXURE FOR REPORT TO PARLIAMENT WITH RESPECT TO DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

Annexure - 'A'

(₹ in Crore)

From		To			
	Capital Section (Voted)				
Head	Nomenclature	Amount	Head	Nomenclature	Amount
6860	Loans for Consumer Industries		6860	Loans for Consumer Industries	
04	Sugar		04	Sugar	
190	Loans to Public Sector and		190	Loans to Public Sector and	
	Other Undertakings			Other Undertakings	
06	Sugar Factories for bagasse		07	Sugar factories for production	
	based cogeneration power			of anhydrous alcohol or ethanol	
	project			from alcohol	
06.00.55	Loans and Advances	1.97	07.00.55	Loans and Advances	1.9

The reasons are as under: -

Saving: Saving is due to non-fulfillment of conditions necessary for the disbursal of the loan.

Excess: Excess is required for disbursal of more proposals received than anticipated under the scheme as the BE 2020-21 has already been exhausted.